लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र
Tenth Session)

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation Unit
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—6 L.S./65

विषय सूची

अंक 18, बुधवार, 9 दिसम्बर, 1964/18 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
423	हिन्दी का विकास	1639–42
424	तेल उद्योग में लीबिया का सहयोग . . .	1642–43
425	भूतपूर्व वित्त उपमंत्री के विरुद्ध जांच . . .	1643–44
426	पेरिस में युनेस्को कान्फ्रेंस	1644–48
427	गोआ में पुर्तगाली शासनकाल . . .	1648–49
428	मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच . .	1649–53
429	पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों द्वारा गोली चलाना .	1654–56
430	गोआ का विकास	1656–57
431	संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण . . .	1657–58

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या	विषय	पृष्ठ
3	भारत-नेपाल व्यापार वार्ता	1659–61

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
432	उर्वरक कारखाने में विस्फोट	1661–62
434	युवक समारोह	1662
435	नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला) के डायरेक्टर डा० किचलू का त्यागपत्र. . . .	1662–63
436	विदेशों के लिये सांस्कृतिक मिशन. . . .	1663
437	वैज्ञानिक अनुसंधान	1663–64
438	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी . . .	1664
439	श्री नेहरू की वसीयत	1664–65
440	त्रिभाषाई फार्मूला	1665
441	दण्डकारण्य के लिये उद्योग	1666
442	दिल्ली में विस्फोट	1666–67

CONTENTS

No. 18, *Wednesday, December* 9, 1964/*Agrahayana* 18, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	Subject	Pages
423	Development of Hindi	1639–42
424	Libyan Collaboration in Oil Industry	1642–43
425	Inquiry against ex-Deputy Minister of Finance	1643–44
426	UNESCO Conference in Paris	1644–48
427	Portuguese Regime in Goa	1648–49
428	Enquiry into Charges against Ministers	1649–53
429	Firing by East Pakistan Rifles	1654–56
430	Development of Goa	1656–57
431	Abrogation of Article 370	1657–58

SHORT NOTICE QUESTION

No.		
3	Indo-Nepal Trade Talks	1659–61

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
432	Explosion in Fertilizer Factory	1661–62
434	Youth Festival	1662
435	Resignation of Dr. Kichlu, Director N.P.L.	1662–63
436	Cultural Missions Abroad	1663
437	Scientific Research	1663–64
438	Refugees from East Pakistan	1664
439	Will of Shri Nehru	1664–65
440	Three Language Formula	1665
441	Industrial Complex for Dandakaranya	1666
442	Explosion in Delhi	1666–67

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1142	फ्रांस के साथ वैज्ञानिक सहयोग	1667
1143	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उड़ीसा के कालेजों को अनुदान	1667
1144	विदेशों में अध्ययन करने वाले उड़ीसा के विद्यार्थी . .	1667
1145	उड़ीसा में संगीत और साहित्य अकादमियां . . .	1667–68
1146	केरल भवन पट्टा और किराया नियंत्रण अधिनियम . .	1668
1147	पुनर्वास के लिये भूमि	1668–69
1148	पुनर्वास व्यय	1669–70
1149	आदिवासियों का दण्डकारण्य में पुन: संस्थापन .	1670–71
1151	मेक्सिको की सरकार का उपहार . . .	1671–72
1152	पिंडी-काश्मीर सड़क	1672
1153	आसाम में शरणार्थी . . .	1672–73
1154	मंत्रियों द्वारा किये गये दौरे .	1673
1155	दिल्ली में महिला पोलीटेक्नीक . . .	1673
1156	जैसलमेर में तेल की खोज . . .	1674
1157	स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों की परीक्षा . . .	1674
1158	बरौनी के पास पैट्रो-केमिकल उद्योग . . .	1674
1159	पाण्डु राजार ढीबी में खुदाई	1675
1160	दिल्ली में सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण . . .	1675
1161	भारतीय आर्थिक सेवा में रिक्तियां . .	1675–76
1162	दिल्ली की अदालतों में विचाराधीन मुकदमे . . .	1676
1163	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अन्दमान . . .	1676–77
1164	उर्दू विश्वविद्यालय	1677
1165	घटिया मिट्टी का तेल	1677
1166	श्री नोरी ब्रुक दिल्ली में.	1678
1167	गोपाल विनायक गोडसे की रिहाई . . .	1678
1168	दिल्ली प्रशासन	1679
1169	भारतीय जनगणना में गोवानी राष्ट्रजनों को सम्मिलित करना .	1679
1170	सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी भंडार . .	1680
1171	नेहरू संग्रहालय	1680
1172	कास्टिक सोडा दिया जाना	1680–81
1173	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	1681
1174	पाक-अधिकृत काश्मीर से आने वाले शरणार्थी . .	1681
1175	लक्कदीव में पदाधिकारियों और अध्यापकों की पदोन्नति .	1682
1176	लक्कदीव द्वीपसमूह में अध्यापक	1682
1177	माध्यमिक शिक्षा आयोग	1682
1178	कूच-बिहार हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी . .	1683

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1142	Scientific Collaboration with France . . .	1667
1143	Grants to Orissa Colleges by U.G.C. . .	1667
1144	Orissa Students Studying Abroad	1667
1145	Sangeet and Sahitya Academis in Orissa . . .	1667–68
1146	Kerala Buildings Lease and Rent Control Act	1668
1147	Land for Rehabilitation .	1668–69
1148	Rehabilitation Expenditure . . .	1669–70
1149	Resettlement of Adivasis in Dandakaranya	1670–71
1151	Mexican Government's Gift . .	1671–72
1152	Pindi-Kashmir Road	1672
1153	Refugees in Assam . .	1672–73
1154	Tours undertaken by Ministers	1673
1155	Women's Polytechnic in Delhi .	1673
1156	Oil Explorations in Jaisalmer	1674
1157	Screening of Personnel of Voluntary Organisations	1674
1158	Petro-chemical Industries near Barauni	1674
1159	Excavations at Pandu Rajar Dhibi	1675
1160	Socio Economic Survey in Delhi .	1675
1161	Vacancies in Indian Economic Service	1675–76
1162	Cases Pending in Delhi Courts	1676
1163	Additional Sessions Judge, Andamans . .	1676–77
1164	Urdu University . . .	1677
1165	Inferior Kerosene	1677
1166	Mr. Norrey Brook in Delhi	1678
1167	Release of Gopal Vinayak Godse	1678
1168	Delhi Administration	1679
1169	Inclusion of Goan Nationals in Indian Census . .	1679
1170	Cooperative Stores for Government Employees . .	1680
1171	Nehru Museum	1680
1172	Supply of Caustic Soda	1680–81
1173	Public Sector Projects	1681
1174	Refugees from Pak Occupied Kashmir . . .	1681
1175	Promotions of Officers and Teachers in Laccadives .	1682
1176	Teachers in Laccadive Islands	1682
1177	Secondary Education Commission	1682
1178	Arrest of a person at Cooch-Behar Air port . .	1683

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1179	न्यासर्ग (हारमोन)	1683
1180	संस्कृत नाटककारो की कृतियां	1683
1181	उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . . .	1683–84
1182	नेपाल को बाल सद्भावना-मण्डल . . .	1684
1183	काश्मीर में अग्निकाण्ड	1684
1184	जाली विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र . . .	1684–85
1185	रंग बनाने वाला कारखाना	1685
1186	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्तियों का संरक्षण	1685
1187	सरकारी कार्यालयों का समय	1685
1188	लाटरियां	1685–86
1189	दिल्ली में स्टालिन के चित्र	1686
1190	पुलिस आयोग	1686
1191	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर . . .	1687
1192	टेली-हीटर का अविष्कार	1687
1193	हिन्दी अध्यापन योजना	1687–88
1194	अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार . . .	1688
1195	असम में पुनर्वास	1688
1196	कृत्रिम रबड़	1688–89
1197	केरल में पूजा स्थानों का अपवित्र किया जाना . .	1689
1198	बंगाल की खाड़ी में तेल	1689–90
1199	दिल्ली की कालका जी नामक बस्ती में विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि	1690
1200	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं .	1690
1201	केरल में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक . . .	1690–91
1202	न्यायाधिपति श्री मित्र का मामला	1691
1203	परा-मनोविज्ञान का अध्ययन	1691
1204	दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन का पाठ्यक्रम . .	1691–92
1205	बरौनी तेल शोधक कारखाना .	1692
1206	दिल्ली राज्य के अध्यापकों की शिकायतें . . .	1692

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(1) कुछ भूटानी भगोड़ों द्वारा नेपाल में दिये गये वक्तव्य

श्री स्वैल	1693–94
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	1693–95

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1179	Hormones	1683
1180	Works of Sanskrit Dramatists	1683
1181	Grants to Educational Institutes of U.P.	1683–84
1182	Children's Goodwill Mission to Nepal	1684
1183	Fire Incidents in Kashmir	1684
1184	Fake University Certificates	1684–85
1185	Dye Manufacturing Plant	1685
1186	Reservation for vacancies of S.Cs. and S.Ts. . .	1685
1187	Timings of Government Offices	1685
1188	Lotteries	1685–86
1189	Pictures of Stalin in Delhi	1686
1190	Police Commission	1686
1191	Regional Engineering College at Silchar	1687
1192	Invention of Tele-heater	1687
1193	Hindi Teaching Scheme	1687–88
1194	National Awards for Teachers	1688
1195	Rehabilitation in Assam	1688
1196	Synthetic Rubber	1688–89
1197	Desecration of Worship Places in Kerala .	1689
1198	Oil in Bay of Bengal	1689–90
1199	Land to D.Ps. in Kalkaji Colony, Delhi . . .	1690
1200	Educational Facilities for Children of Defence Personnel	1690
1201	Teachers of Aided Schools in Kerala . . .	1690–91
1202	Mr. Justice Mitter's Case	1691
1203	Studies in Para-Psychology	1691
1204	Course in Chinese Studies in Delhi University . .	1691–92
1205	Barauni Refinery	1692
1206	Delhi State Teachers' Grievances	1692

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

(i) Statements of some Bhutanese defectors in Nepal

Shri Swell 1693–94

Shrimati Lakshmi Menon 1693–95

विषय	पृष्ठ
(2) मद्रास पत्तन न्यास के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	
श्री नाथ पाई	1716
श्री राज बहादुर	1716–17
सभा पटल पर रखा गया पत्र	1695
अनुपूरक अनदानों की मांगें (रेलवे), 1964–65 . .	1695
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
त्रेपनवाँ प्रतिवेदन	1695
प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . .	1696–98
विधेयक पुरःस्थापित—	
(1) केरल विनियोग विधेयक, 1964	1698
(2) दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक	1698
व्यवस्था का प्रश्न . .	1699
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री नम्बियार	1699–1700
श्री तन सिंह	1700
श्री राधेलाल व्यास	1701
श्री शिंकरे	1701–02
श्री ह० च० रॉय	1702
श्री जसवन्त मेहता	1702–03
श्री के० ना० तिवारी	1703
श्री रंगा	1703–04
श्री मानसिंह पृ० पटेल	1704
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	1705–07
खण्ड 2 से 4 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	1707–10
श्री रंगा	1709
श्री हरि विष्णु कामत	1709
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	1710
डा० मा० श्री० अणे	1710

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

Subject	*Pages*
(ii) Strike by workers of Madras Port Trust	
Shri Nath Pai	1716
Shri Raj Bahadur . . .	1716-17
PAPER LAID ON THE TABLE	1695
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1964-65	1695
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—	
Fifty-third Report	1695
STATEMENT RE: PRIME MINISTER'S VISIT TO U. K.—	
Shri Lal Bahadur Shashtri . .	1696-98
BILLS INTRODUCED—	
1. Kerala Appropriation Bill, 1964 .	1698
2. Delhi Secondary Education Bill .	1698
POINT OF ORDER	1699
STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMEND) BILL—	
Motion to consider	
Shri Nambiar . .	1699-1700
Shri Tan Singh . .	1700
Shri Radhelal Vyas .	1701
Shri Shinkre . . .	1701-02
Shri H. C. Roy	1702
Shri Jashvant Mehta . . .	1702-03
Shri K. N. Tiwary .	1703
Shri Ranga . . .	1703-04
Shri Man Singh P. Patel	1704
Shri C. Subramaniam .	1705-07
Clauses 2 to 4 and 1	
Motion to pass	
Shri C. Subramaniam . .	1707-10
Shri Ranga . .	1709
Shri Hari Vishnu Kamath .	1709
Shrimati Renu Chakravarty	1710
Dr. M. S. Aney .	1710

विषय	पृष्ठ
वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—	
श्री मु० क० चागला	1711–12
श्री कृष्णपाल सिंह	1712–13
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	1713–14
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	1714–15
श्री कमलनयन बजाज	1715
बैंक आफ चाइना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	1717–18
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . .	1718–19

Subject	Pages
MOTION RE : ANNUAL REPORTS OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS 1961-62 AND 1962-63	
Shri M. C. Chagla	1711–12
Shri Krishnapal Singh	1712–13
Shri Ramshekhar Prasad Singh . . .	1713–14
Shrimati Renu Chakravertty . .	1714–15
Shri Kamalnayan Bajaj	1715
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : BANK OF CHINA	
Shri Prakash Vir Shastri . . .	1717–18
Shri T. T. Krishnamachari . .	1718–19

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 9 दिसम्बर, 1964/18 अग्रहायण 1886 (शक)

Wednesday, December 9, 1964/*Agrahayana* 18, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** in the chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Hindi

+

*423. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the progress so far made towards the holding of a joint meeting of the Chief Ministers of the Hindi-speaking States with a view to bring about uniformity in the use and development of Hindi in those States ;

(*b*) the contribution to be made by his Ministry in this regard ;

(*c*) the steps being taken to bring about coordination between the Official Language (Legislative) Commission and the Legislative Departments of the Hindi-speaking States in order to ensure uniformity in the terminology used in the State laws; and

(*d*) the machinery devised by Government to secure maximum possible identity in the use of scientific, technical and administrative terms in various Indian languages ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) to (*d*). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Home Minister had some discussions regarding this with the Chief Ministers of Hindi-speaking States also earlier. Presently, a delegation of the Hindi

Salahkar Samiti, led by Dr. Govind Das, is touring the Hindi-speaking States. The Sub-committee of the Hindi Salahkar Samiti which is concerned with this matter has advised that the joint meeting of the Chief Ministers of the Hindi-speaking States should be convened after the delegation has completed its tour.

There are four representatives of the Hindi-speaking States on the Official Languages (Legislative) Commission. The legal terminology evolved by the Commission has been forwarded to all the States. The draft Hindi texts of Central Statutes prepared by the Commission are also sent to the State Governments. The Members and officials of the Commission also hold discussions with the State representatives, whenever necessary. It is hoped that the terminology evloved by the Commission will be used uniformly in all the Hindi-speaking States.

The Education Ministry has constituted a Commission with the aim of bringing about the maximum possible uniformity in the use of scientific and technical terminology in the various Indian languages and an Advisory Board has been constituted with the Union Education Minister as Chairman, and the State Education Ministers and representatives of Universities and learned associations as members.

Representatives of the State Governments are also associated with the expert committees constituted by the Ministry of Education for evolving a standard terminology in administration. It is hoped that the administrative terminology published by the Ministry of Education will be used as far as possible in all States.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether there has been any correspondence of the Centre with the State Governments in the matter of terminology contemplated by the Home Ministry with a view to bringing uniformity in Hindi; whether their instructions will be implemented; and if so, what are its main features ?

Shri Hathi : We are already in correspondence with them, and the terminology also has been circulated to them. They have been asked to give their omments or suggestions, if any; or, approve it and put it to use.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether the various Ministries of the Government of India have put to use the terminology compiled by the Education Ministry or Ministry of Home Affairs; and if so, whether the language used over A.I.R. by the Ministry of Information and Broadcasting is in line with the said terminology ?

Shri Hathi : I think the terminology compiled at the moment is in respect of the terms used in technical and scientific subjects only.

Shri M. L. Dwivedi : I have asked whether or not all the Ministries are using the same terminology ?

Shri Hathi : I understand that they must be using that very terminology for technical and scientific subjects.

Shrimati Savitri Nigam : Some complaints have been received about certain words to the effect that they are not only difficult but also unintelligible. I would like to know whether the attention of the Hon. Minister has been drawn towards them ?

Shri Hathi : The glossary pertains in particular to technical and scientific subjects; and I am not aware of any complaints with regard thereto.

श्री कण्डप्पन : श्रीमान्, विवरण में यह बताया गया है कि आयोग द्वारा तैयार की गई विधि-शब्दावली सभी राज्यों के पास भजी गई है, और आयोग द्वारा तैयार किये गये अधिनियमों का मसौदा भी राज्य सरकारों को भेजा जाता है। इस शब्दावली से अथवा इसके अनुवाद से सभी राज्यों को संतोष प्राप्त रहीं। सरकारने इस सम्बन्ध में राज्यों की उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : हम उस शब्दावली को सभी राज्य सरकारों के पास भेज चुके हैं। उन में से कई राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और अन्य कई राज्यों से उत्तर प्राप्त होने वाले हैं। चूंकि सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं अतः मैं कोई अंतिम उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Prakash Vir Shastri : How far is the Central Government in agreement with the announcement made by the U.P. Govt. in so far as using Hindi as administrative language from the 26th January; and whether in view of their decision the Central Government would advise other Hindi-speaking States also to take such a decision ?

Shri Hathi : The Centre are in full agreement with the U.P. Government and we very much desire other Hindi-speaking States also to follow suit. Perhaps, the Hon. Member is aware of the fact that we have sent a delegation under the Chairmanship of Dr. Govind Das to those Hindi-speaking States to see what other steps are needed for promoting the use of Hindi there.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : This has been unanimously recognized that all Indian languages have *tadbhav* or *tatsam* relation with Sanskrit and in this context the Hon'ble Home Minister will tell us how they propose to avail of the Sanskrit terminology for all-round development of Hindi ?

Shri Hathi : This is an undisputed fact that Sanskrit forms the basis of all other languages but Sanskrit terminology is now considered obsolete.

Shri Yashpal Singh : Letters addressed to the authorities in Hindi are not replied to in the same language. May I know how long will this practice continue ?

Shri Hathi : It has been decided that heretoafter letter received in Hindi will be answered in Hindi.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जहां तक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का सम्बन्ध है, अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका सार्वभौम रूप से प्रयोग किया जाता है और जो सर्वत्र स्वीकृत हैं। क्या हम उन शब्दों के अनुवाद का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा क्या हम देवनागरी लिपि में इन शब्दों को रख रहे हैं ?

श्री हाथी : अनुवाद कार्य आयोग को सौंपा गया है; इसमें विशेषकर, शिक्षक, प्रोफेसर तथा अन्य व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य के सुझाव पर वह विचार करेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि तथाकथित हिन्दी भाषा-भाषी राज्य और जनता जैसे जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाना प्रांत, पंजाब के हिन्दू और अन्य स्थानों के व्यक्ति जो वस्तुतः हिन्दी भाषी नहीं है किन्तु हिन्दीवादी हैं; इसका अर्थ यह है कि यह समस्या प्रशासनिक तथा भाषागत नहीं है परन्तु साम्प्रदायिक और राजनैतिक सनस्या है। यदि हां, तो अहिन्दी भाषी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों के संरक्षण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Shri Rameshwaranand : Hindi is spoken in the Punjab though some communalists have described it by the name of Punjabi language. Whether Government propose to set up a commission that will make endeavours to eliminate communalism and try to evolve one language for the Punjab. Punjab has only one language—and that is Hindi—but some people are seeking to give it a nomenclature of Punjabi.

Mr. Speaker : I cannot agree to the statement of Swamiji that a few communalists are asserting in favour of Panjabi being a separate language. If I hold the view that Panjabi is a separate language, shall I convert myself into a communalist ?

Shri K. N. Tiwari : Whether States' Chief Ministers' conference has also decided that Hindi-speaking States should carry on mutual correspondence in Hindi and that speeches in Legislative Assemblies should also be delivered in Hindi so that cause of Hindi could be well propagated.

Shri Hathi : This is being done.

श्री रा० गि० दुबे : मंत्रालय एक आयोग नियुक्त कर रहा कि जो देश की विभिन्न भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों की समरूपता प्रदान करेगा। इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : मैंने उत्तर में कहा है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों में अधिकतम एकरूपता प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय ने एक आयोग नियुक्त किया है। एक परामर्शदाता बोर्ड भी स्थापित किया गया है जिसके चेअरमेन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालयों के वाईस चॅन्सेलर सदस्य होंगे। विभिन्न ब्रांचो में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों का अनुवाद कर दिया गया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार की यह मंशा है कि जिन राज्यों ने सरकारी प्रयोग के लिये हिन्दी अपना ली है उनसे हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जायेगा ?

श्री हाथी : हमने इन राज्यों को सूचित कर दिया है कि वे हमारे साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। हम उनके पत्रों का उत्तर हिन्दी में देंगे।

Shri Yashpal Singh : Whether Government have announced steps to evolve a style by intermingling regional languages enumerated in the Constitution.

Shri Bhagwat Zha Azad : How far these newspaper reports are correct that the U.P. Chief Minister has announced to carry on entire official work in Hindi from 26th January onwards and whether Chief Ministers of other Hindi-Speaking States have also made similar announcements ?

Shri Hathi : The U.P. Chief Minister has made this announcement and we are in full agreement to her statement. We have sent a delegation to all Hindi-speaking States with the above-mentioned objective in view.

तेल उद्योग में लीबिया का सहयोग

*424. **श्री सुरेन्द पाल सिंह :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल उद्योग क्षेत्र में भारत को सहयोग प्रदान करने के लिये लीबिया ने प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो लीबिया के प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि सितम्बर में लीबिया के विकास तथा योजना मंत्री की पिछले सितम्बर में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत सरकार से कहा कि लीबिया में तेल उत्पादन की लागत विश्व के अन्य सब देशों से न्यूनतम है और यदि यह सच है तो भारत सरकार लीबिया में सहयोग के आधार पर विचार क्यों नहीं करती है ?

श्री हुमायून कबीर : प्रश्न सर्वथा स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : उनका सुझाव यह है कि न्यूनतम लागत को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है।

Inquiry against former Deputy Minister of Finance

\+
*425. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishram Prasad :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 366 on the 23rd September, 1964 and state :

(*a*) whether enquiry has been completed into the alleged acquisition of wealth by former Deputy Minister of Finance;

(*b*) if so, the outcome thereof; and

(*c*) the reasons for delay into arriving at a decision in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) to (*c*) The allegations have been enquired into in accordance with the advice tendered by the Attorney-General. The report has just been received and is under consideration of Government.

Shri Prakash Vir Shastri : What are the salient features of the report received by Government ?

Mr. Speaker : The report is still under consideration of Government. Questions should not be asked about that at this stage. Let Government complete its consideration.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें एटार्नी जनरल की रिपोर्ट मिली है अथवा कोई अन्य रिपोर्ट, यह स्पष्ट नहीं हुआ है ।

Mr. Speaker : Government have received the report and they are considering it.

Shri Prakash Vir Shastri : Whether Government are in a position to tell us when they will complete consideration and announce decision over the report ?

2—6 L.S./65

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : It is difficult to say at this stage as to when we will take a decision. The report has just been received. We will be able to say something only when we have gone through it.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What are the names of members who are entrusted with this enquiry ?

Shri Lal Bahadur Shastri : This is Central Investigation Bureau.

Shri Vishram Prasad : Whether the Deputy Minister was asked to furnish some documents; if so, how many of these were proper and how many were not ?

Mr. Speaker : This will arise later on.

Shri Onkar Lal Berwa : What are the reasons for delay into the matter ?

Shri Lal Bahadur Shastri : There is no delay; the report has been received just recently.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या भूतपूर्व उपमंत्री के परिवार को एक लाख रुपये का ऋण केवल सादा प्रोनोट केबल पर दिया गया था और क्या बीमा कम्पनियां किसी अन्य मामले में भी इसी प्रकार कार्य करती हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मैं इस समय उनकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता हूँ ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक ऋणकर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है और इस प्रकार के मामले उनके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं तो फिर सरकार सेन्ट्रल इनवेस्टीगशन ब्यूरो की रिपोर्ट से ही क्यों संतुष्ट है और इस मामले को सतर्कता आयुक्त के पास भेजा होता तो वह भली प्रकार मामले की जांच कर पाता और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सतर्कता आयुक्त केवल सरकारी कर्मचारियों के बारे में विचार करता है; इस प्रकार के मामलों से नहीं ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि जब इस विषय पर चर्चा की जा रही थी तो सम्बन्धित मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

Shri A. P. Sharma : Whether Government Officers enquiring into the allegations against Ministers and Deputy Ministers will not be in violation to morality ?

Shri M. L. Dwivedi : For the present, the Home Ministry is making an enquiry into the matter. Whether this has now passed on in the hands of the Prime Minister ?

Mr. Speaker : Whosoever may have taken it. Responsibility lies with the Government.

पेरिस में यूनेस्को कान्फ्रेंस

\+

426. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अक्टूबर, 1964 को पेरीस में यूनेस्को के तेरहवें महा सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य कौन कौन थे; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी, और

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा क्या प्रस्ताव रखे गये थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3577/64।**]

Shri Rameshwar Tantia : Proposal No. 4 envisages ambitious programmes during the next two years. May I know the assistance secured from the UNESCO in this regard and what steps Government propose to take during the next two years towards elimination of illiteracy in India ?

श्री मु० क० चागला : यूनेस्को की बैठक में इस बार कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और उन में से एक महत्वपूर्ण बात थी कि संसद् से निरक्षरता को कैसे दूर कर दिया जाय ; चुनांचि यूनेस्को ने एक विशाद कार्यक्रम आरम्भ किया है जिस के अन्तर्गत वे यथासम्भव कम समय में यह काम पूरा करना चाहते हैं। सच तो यह है कि तेहरान में एक सम्मेलन होने वाला है। ईरान सरकार ने यूनेस्को को एक संकल्प भेजा है जिस में यह कहा गया है कि वयस्कों की निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बुलाया जाय और यूनेस्को ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया है। अतः तदनुसार यह प्रस्तावित सम्मेलन ईरान सरकार के खर्चे पर आयोजित किया जायेगा।

Shri Rameshwar Tantia : How do the figures of literacy vary during the past ten years; what was the number of literates ten years back and what is the figure now ? Is it a fact that even today India is one of the backward countries in the field of literacy ?

Mr. Speaker : Does this question also pertain to the XIII General Conference of the UNESCO ? This is a general question. The Hon. Members may please ask questions pertinent to the UNESCO conference.

Shri Rameshwar Tantia : Is the assistance rendered by the UNESCO so far to our country for promoting literacy adequate, and whether any scheme for giving some more assistance to us is included in the agenda of the conference ?

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूँ कि स्थिति दुःखद है। संसार में लाखों-करोड़ों निरक्षर लोग हैं। यूनेस्को इस समस्या से पूर्णतः अवगत है और भरसक प्रयत्न कर रहा है कि यह समस्या हल हो। यह एक ऐसी घोर समस्या है जिस पर बहुत बड़ा व्यय होगा। किन्तु यूनेस्को ने इस महत्वपूर्ण समस्या पर पूरा-पूरा ध्यान देने का निश्चय किया है।

Shri Sidheshwar Prasad : The statement laid here says that the Indian delegates proposed an extension of the jurisdiction of International Private Organisations to fulfil the aims and objectives of the UNESCO. In the light of this I would like to know what the proposal of the Indian Government was, the form in which it was accepted and the decision taken thereon.

श्री मु० क० चागला : मेरे मान्य मित्र किस प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं ? हमने कई प्रस्ताव रखे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : प्रस्ताव संख्या (2) :

"..........भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने यह प्रस्ताव रखा कि संगठन के कार्यक्षेत्र तथा इन अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों को सम्मिलित किया जा सके । इस साधारण सम्मेलन में इस दृष्टिकोण को माना गया था ।"

I would like to know the details of the proposal and the decision taken thereon by the UNESCO.

श्री मु० क० चागला : जैसा कि संकल्प में कहा गया है, हमारे प्रतिनिधि ने वहां इस बात का उल्लेख किया कि यूनेस्को के कार्यक्रम को पूरा करने में गैर-सरकारी संगठनों का कितना महत्व है । यदि इससे अधिक ब्यौरे की आवश्यकता हो तो मैं वह सब बता सकता हूँ ।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण के पृष्ठ 7 पर बताया गया है :—

"भारतीय प्रतिनिधि ने बताया कि आचार-सम्बन्धी और नैतिक विचारों से पुर्तगाल का बहिष्कार होना चाहिये ।" तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के दृष्टिकोण का क्या परिणाम रहा, और पुर्तगाल का बहिष्कार हुआ था, और यदि नहीं तो क्यों नहीं हुआ था ?

श्री मु० क० चागला : यदि मेरे मान्य मित्र पैरा सं० 11 को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि पुर्तगाल का बहिष्कार हुआ था ....

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यूनेस्को का उल्लेख कर रहा हूँ ।

श्री मु० क० चागला : पुर्तगाल यूनेस्को का सदस्य नहीं है । उस को एक गैर-सदस्य राज्य के रूप में निमंत्रित किया जाता था । जैसा आप जानते होंगे, जेनेवा में कुछ गड़बड़ हो रही थी क्योंकि महानिदेशक ने कहा था कि वह पुर्तगाल का बहिष्कार नहीं कर सकते; और इसी के परिणामस्वरूप सम्मेलन भंग हुआ और अफ्रीकी सदस्य उठ कर बाहर चले गये । यूनेस्को में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने पुर्तगाल के बहिष्कार के लिये अफ्रीकी दल का जोरदार समर्थन किया, और अब यह निर्णय किया गया है कि तब तक किसी भी गैर-सदस्य राज्य को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता जब तक कि मण्डल की दो-तिहाई बहुमत का निमंत्रण उस राज्य को प्राप्त न हो । अत: हमें इस बात का विश्वास है कि यूनेस्को या यूनेस्को के अधीक्षत्व में होने वाले किसी भी सम्मेलन में पुर्तगाल को न्योता नहीं दिया जाएगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का दसवां प्रस्ताव इस प्रकार था :—

"यूनेस्को को योगदान देने के लिए सदस्य-राज्यों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आयोगों के विरुद्ध से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण संकल्प भारत द्वारा प्रस्तुत हुआ ।"

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रस्तुत एक और प्रस्ताव इस प्रकार था :—

"भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने, कुछ अन्य देशों के साथ-साथ, एक संकल्प पेश किया जो इस सम्बन्ध में था कि अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन यूनेस्को के उद्देश्यों की पूर्ति तथा उसके कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कितना योगदान देते हैं । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने यह प्रस्ताव रखा था कि संगठन के कार्य-क्षेत्र तथा इन अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों को सम्मिलित किया जा सके ।"

मैं यह जानना चाहती हूँ कि इन दो संकल्पों के अन्तर्गत युनेस्को द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय आयोगों तथा अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों के लिए सहयोग के विशिष्ट फार्म क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : हम यह समझते थे कि एशियाई और अफ्रीकी देशों में और अधिक सहयोग होना चाहिए। हमने युनेस्को में ही वह बात पैदा कर दी। प्रथम बार हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एशियाई-अफ्रीकी दल इकट्ठा हो गया जिस का यह परिणाम रहा कि एशियाई राष्ट्रों ने शासक निकाय अथवा कार्यकारी मण्डल में एक और स्थान प्राप्त किया ; और अफ्रीका का भी यही हाल रहा। इसका एक और परिणाम यह रहा कि एशियाई और अफ्रीकी देश, जिस प्रकार बजट में अधिक भागीदार बनना चाहते थे, वैसा प्राप्त कर सके। अग्रेतर, विचार यह है कि संसार के विभिन्न भागों में हमारे राष्ट्रीय आयोग हों जो दोनो दृष्टिकोणों से, अर्थात् खण्डवार तथा पेरिस-स्थित मुख्यालय की सहायता से, मिलकर काम करते रहें।

डा० सरोजिनी महिषी : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पेश की गई अनेक रिपोर्टों तथा यूनेस्को द्वारा दी गई सहायता के बावजूद भी महिला-साक्षरता बड़ी कठिनाई से 8 प्रतिशत बरती है। मैं जानना चाहती हूँ कि भारत में महिला-वर्ग की निरक्षरता के उन्मूलन के हित क्या विशेष अभिकरण हैं ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा मंत्रालय महिला-शिक्षा को बहुत बड़ा महत्त्व प्रदान कर रहा है। मैं प्रत्येक उस योजना का समर्थक हूँ जो महिला-शिक्षा के सम्बन्ध में है अथवा उसका समर्थन करती है। अतः मान्य महिला सदस्य यूनेस्को के अतिरिक्त इस मंत्रालय पर निर्भर कर सकती हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Whether this move has also been decided at the said UNESCO Conference that in villages where the poor people have to work during the day to earn their livelihood, there should be night schools for imparting them eduction so that the illiteracy is eradicated among them ?

अध्यक्ष महोदय : मान्य सदस्य ग्रामीणों के लिए रात्रि-पाठशालायें खोलने के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं।

श्री मु० क० चागला : हमने इसके ब्यौरे के बारे में नहीं सोचा है किन्तु यह निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण सुझाव है जिसे हम ध्यान में रखेंगे।

श्री नाथ पाई : क्या भारतीय शिष्ट मंडल ने युनेस्को के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा था कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जनता को परस्पर आपस में समझने की दिशा में जो योग दिया है, उसको समारोह के रूप में मनाया जाये और यदि हां, तो इन प्रस्तावों के संबंध में युनेस्को की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, हमने सुझाव दिया था कि 14 नवम्बर को सारे विश्व में बाल दिवस मनाया जाये। एक और भी सुझाव है कि आधुनिक जगत में जवाहर लाल नेहरु के योग के संबंध में सांस्कृतिक नेताओं का एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाये और यह सम्मेलन 1965-66 में नई दिल्ली में होने वाला है। गोलमेज सम्मेलन के अलावा स्वेच्छा से इकट्ठा किये गये चन्दे से होने वाले युनेस्को कार्यक्रम में नेहरु स्मृति सम्मेलन की भी व्यवथा है जो दो वर्ष में एक बार होगा ताकि विश्व के महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, कलाकार, लेखक तथा प्रचारकर्त्ता परस्पर निकट आ सकें और मानव संस्कृति के कुछ महान मुद्दों पर विचार करें जो पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृति को पृथक करते हैं और उनके सामान्य संबंधोंको पर स्पष्ट करते हैं। नेहरू स्मृति फेलोशिप नेहरू के सिद्धान्तों को मानकर चलने वाले तथा उनकी भावना को अपनाने वाले नवयुवकों को दिये जायेंगे और उन वरिष्ट विचारों तथा दार्शनिकों को भी दिये जायेंगे

जो इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनायेंगे। सदस्य राज्यों से कहा गया है कि वे 1965-66 के लिए कम से कम 100,000 डालर का स्वेच्छा से चन्दा इस कार्यक्रम के लिए दें।

श्री कपूर सिंह : क्या यह संभव नहीं है कि व्यापक क्षेत्र से ऐसे अन्य शिष्टमंडल चुने जायें ?

श्री मु० क० चागला : यह किसी देश द्वारा युनेस्को को भेजा गया सबसे छोटा शिष्टमंडल था।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह अन्य लोगों को भी शिष्टमंडल में स्थान देंगे ?

श्री मु० क० चागला : यह शिष्टमंडल छोटा था। हमारा देश बहुत बड़ा है। अतः हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दे पाना संभव नहीं है।

श्री जयपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में हमारे दृष्टिकोण में यह विरोधाभास क्यों है ? हम चाहते रहे हैं कि हर राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान पाये। हम चाहते हैं कि चीन को भी राष्ट्र संघ में स्थान मिले लेकिन पुर्तगाल के संबंध में हमारा ऐसा उलटा रवैया क्यों है ?

श्री मु० क० चागला : संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का राजनैतिक मंच है। युनेस्को एक सांस्कृतिक मंच है। अतः हम इसमें किसी ऐसे देश को नहीं रखना चाहते जो उस बात का दोषी हो जिसका दोषी पुर्तगाल है।

गोवा में पोर्तुगाली शासनकाल

*427. { +श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली शासन के दौरान दी गई कठोर सजाओं के विरुद्ध भारत सरकार को अभ्यावेदन मिले है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संघ राज्य क्षेत्र के समस्त बन्दियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या पुर्तगाली शासन के अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को कोई राहत दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) गोवा, दमन और दीव की सरकार ने पुर्तगाली शासन के दौरान दी गई कठोर सजाओं का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिये एक समिति की स्थापना की है।

(ग) गोवा, दमन और दीव के आज़ाद होने के बाद वहां की सरकार ने तीन मौकों पर बन्दियों की सज़ाएं घटाई है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस प्रकार की गति विधियों के कारण उस समय पुर्तगाली शासन काल में जिन लोगों को सजायें दी गई थीं, उनमें से कितने लोगो की सजाये घटाई गई हैं और कितने लोग अभी भी जेल में है ?

श्री हाथी : सब राजनैतिक बन्दी छोड़ दिये गये हैं। 26 जनवरी 1962 को सब लोगों को सरकार की ओर से क्षमा प्रदान किया गया था केवल वही लोग शेष हैं जिनकी शिकायत है कि उनके अपराध को देखते हुये उन्हें बहुत कठोर सजाये दी गई हैं। उनके मामले पर विचार हो रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : उस समय के शासन ने जिनकी सम्पत्ति जब्त कर ली थी क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ?

श्री हाथी : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जिनके मकान और सम्पत्तियां बिल्कुल नष्ट कर दी गई थीं, उनको पुनः बसाने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूँ कि जिनकी सम्पत्तियां जब्त की गई थीं, वे उन्हें वापस दे दी गई हैं। गोवा सरकार कुछ और उपाय भी कर रही है।

श्री अल्वारेस : इस समय भी पुर्तगाल में दो राजनैतिक बन्दी जेल में हैं। उनको छोड़े जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हाथी : इस संबंध में मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार ने गोवा के भूतपूर्व राजनैतिक बन्दियों को फिर से बसाने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूँ गोवा सरकार उनके मामलों पर विचार कर रही है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : गोवा में राजनैतिक गतिविधियों में जो लोग मारे गये थे या जिन्हें फांसी दे दी गई थीं, क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ?

श्री हाथी : मैं गोवा सरकार से इस संबंध में जानकारी मंगाऊंगा।

श्री शिकरे : गोवा स्वतंत्रता कार्यवाही में जिन लोगो को हानि उठानी पड़ी उनको पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या सरकार के सामने कोई योजना या विचार है ?

श्री हाथी : मैंने बताया कि गोवा सरकार इस संबंध में विचार कर रही है।

श्री नाथ पाई : गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जो परिवार बाहर से जाकर गोवा में बसे और जिनमे से बहुतों का अंग-भंग हो गया या जो शरीर से कामलायक नहीं रह गये और जिनमें से 28 व्यक्तियों की जाने भी गई, क्या इन लोगो की कठिनाई के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर अवश्य विचार किया गया होगा। मेरे पास इस की जानकारी नहीं है, मैं गोवा सरकार से जानकारी मंगवा दूंगा।

मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

+

*428. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के उन मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है ; और

(ख) जांच का काम कौन कर रहा है तथा प्रत्येक मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर **रख** दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) भूतपूर्व वित्त उप मंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये कुछ आरोप की जांच महा न्यायवादी की राय के अनुसार की गई । जांच की रिपोर्ट हाल में ही सरकार को मिली है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

उड़ीसा के कुछ भूतपूर्व और वर्तमान मंत्रियों के विरूद्ध लगाये गये कुछ आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कर ली है और उसने एक रिपोर्ट दे दी है जिसपर विचार किया जा रहा है।

दस व्यक्तियों द्वारां, जिनमें एक संसद-सदस्य और बिहार विधान मंडल के नौ सदस्य हैं, बिहार के मुख्य मंत्री और उनके सहकारियों के विरूद्ध कुछ आरोपों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया गया था । मामला सरकार के सामने विचाराधीन है ।

मैसूर के मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के विरूद्ध लगाये गये आरोप भी विचाराधीन हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि माननीय मंत्री उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्रियों के विरुद्ध हो रहीं जांच के प्रचार तथा उसकी विधि, काम में विलम्ब आदि के संबंध में प्रमुख अखबारों मे जो समाचार अभी आये हैं, उनके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्हे पता है कि अभी उस दिन पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें सेवा मे लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है और उड़ीसा मे कोई प्रशासन नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : एक-एक करके इन प्रश्नों के विभिन्न तत्वों को देखने हुये हमारी और से कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक अखबारों का संबंध है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं । जहां तक इन मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया का संबंध है, विभिन्न मामलों में अलग-अलग ढंग अपनाया गया है । और जो टिप्पणियां छपी हैं उनसे हम अपनी प्रक्रिया के संबंध में कोई उलटी बात का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । पंजाब सरकार के संबंध में मैं इस समय कुछ भी नहीं कह सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस संबंध में क्या माननीय मंत्री ने विचार किया है और उनका निष्कर्ष क्या है कि किसी मुख्य मंत्री या पदारूढ़ मंत्री के विरुद्ध जांच अधिकारियों द्वारा, गुप्तचर विभाग आदि द्वारा की जाये या नहीं विशेषतया जब सभा में तथा बाहर भी प्रमुख व्यक्तियों ने मांग की है कि संसदीय जांच के लिए आम्बुड्समैन जैसा कोई आयोग हो यह ब्रिटेन में भी अब अपना लिया गया है; प्रधान मंत्री ने भी यह वायदा किया था और कहा था कि जल्दी ही;हम ऐसी व्यवस्था करेंगे । महान्यायावादी, श्री पाठक, इस सभा और सब जनता द्वारा की गई मांग के बावजूद भी इस मामले में माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नंदा : उड़ीसा के मामले की ओर अधिकाधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है.................

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं केवल उड़ीसा की बात नहीं कह रहा हूँ । किसी वर्तमान मुख्य मंत्री या मंत्रिमंडल के मंत्री के संबंध में जांच कराने की इस समय क्या व्यवस्था है । किन उपबन्धों के अधीन आप काम कर रहे हैं और क्या व्यवस्था आप की है और लोगों ने जो वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, उसे आप क्यों नहीं मानते ?

श्री नंदा : माननीय सदस्य आम्बुड्समैन संबंधी सुझाव की बातें कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उस सुझाव को स्वीकार न करने का क्या कारण है। इस समय क्या किया जा रहा है और उसका अच्छा या बुरा क्या प्रभाव हुआ है, मैं यह बता रहा था कि जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, मुख्य मंत्री, विशेष तया उड़ीसा के मुख्य मंत्री.......

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे उड़ीसा के मुख्य मंत्री में कोई रुचि नही हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हे रुचि नहीं है, लेकिन सभा को इसमें रुचि है, हमे उत्तर सुनना चाहिए।

श्री नंदा : चूंकि इस बात का उल्लेख किया गया था, अत: मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। उनके कहने पर ही केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराई गई थी। सामान्यतया क्या किया जाता है ? जैसा कि मैंने कहा अनेक ढंग अपनाये गये। इन सब विचार करके देखा जा सकता है कि क्या कोई अच्छा उपाय हो सकता है। संथानम समिति की रिपोर्ट में भी सुझाव दिये हुये हैं। माननीय सदस्य एक और सुझाव दे रहे हैं। अनेक सुझाव और भी हैं। आम्बुड्समैन संबंधी विचार मुख्यत: शासकीय स्वविवेक के प्रयोग के संबंध में था। जहां तक इसका संबंध है मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि सरकारी कर्मचारियों संबंधी भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने सतर्कता कमीशन बना दिये हैं। उसका दूसरा पहलू प्रशासकीय शिकायतों से संबंन्धित है। इस संबंध में मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं। किसी अन्य व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। हमारे जैसे देश के लिए एक आम्ब्रुड्समैन संस्था पर्याप्त नहीं होगी।

Shri Prakash Vir Shastri : The Prime Minister said one of his speeches in this house that the complaints against the ministers in States shall be dealt with the Chief Ministers of the States but if the complaints pertain to the Chief Ministers of States they will be looked into by him. Three Chief Ministers of Orissa, Bihar and Mysore are concerned here. May I know whether the enquiry entrusted to C.B.I. or other authorities was at the instance of the Prime Minister himself or on what other basis this enquiry was entrusted to them and the arrangements they are making to see that proper decisions are taken.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): I had said that I shall look into it, but it did not mean that Home Minister or his ministry would not look into it. They make preliminary enquiry and then the matter is brought to my notice. But so far as the matter concerning one Chief Minister of a state is concerned, proceedings are going on. In regard to the rest mentioned herein, the preliminary enquiries have not yet completed. Therefore the question of my interference at this stage does not arise.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether any judge of High Court is also associated with the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Judges do not enquire into the cases against ministers.

श्री नंदा : ऐसा कोई कमीशन नही बनाया गया है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Vishnoi Committee enquired into the charges of bungling against Kumbha Ram Arya of Rajasthan in accordance with the recommendations of Santhanam Committee and a case of misappropriation of Rs. 120 lakhs was detected.

Shri Nanda : This case has been handed over to Vigilance Committee.

Shri Vishram Prasad : I want to know the nature of allegations brought out in the CBI Report and what the ex-Chief Minister said in reply to that ?

Mr. Speaker : This question cannot be allowed.

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस प्रकार के मामले उठते हुये भी मंत्री अपने पद पर बना रहे ? क्या यह उचित नहीं है कि जब उनके विरुद्ध जांच हो रही है, तो वे अपना पद छोड़ दें ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उचित है, यह न पूछिये । लेकिन यह आप पूछ सकते है कि जांच के दौरान मंत्रियों से पदत्याग करने के लिए कहा जाता है ।

श्री नंदा : जब तक किसी बात के सिद्ध होने का या सिद्ध होने भी संभावना का आभास तक नहीं होता किसी मुख्य मंत्री या मंत्री से पदत्याग करने के लिए किस प्रकार कहा जा सकता है ।

श्री रा० गि० दुबे : जो व्यक्ति इस प्रकार के सारहीन आरोप लगाते है । क्या उनका कोई उत्तरदायित्व है ?

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान प्रश्न अन्य आरोपों से संबद्ध है ।

श्री नाथ पाई : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अथवा सरकार ने जनता के हृदय में व्याप्त उस भावना को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही की जाती है अथवा उस में देर की जाती है या उसे टाला या स्थगित कर दिया जाता है---उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक मामले के राजनैतिक पहलू के आधार पर—मंत्री महोदय को भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कैरो के उन विचारों के बारे में क्या कहना है कि केन्द्रीय सरकार में निकम्मे लोग हैं ।

श्री नंदा : मैं कोई कड़ी बात नहीं कहना चाहता पर यह बात सही नहीं है ।

श्री नाथ पाई : यह उत्तर अस्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका अपना विचार है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Allegations have been levelled against Chief Ministers of three states and this has brought these persons into illrepute in the States. I want to know this reason for delay.

Shri Nanda : I submit that each and every case is being examined and there is no delay.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When the report will be made available ?

Mr. Speaker : The Hon. Member says that the matter has been delayed while the Hon. Minister states that there was no delay.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He must give an assurance to the house when the report will be made available.

Mr. Speaker : Such an assurance cannot be given here in the House.

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि तीन भूतपूर्व मुख्य मंत्रीयों और तीन वर्तमान मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप बताये गये है और उनमें से एक के विरूद्ध यह सिद्ध भी हो गये हैं तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि संथानम समिति की रिपोर्ट संसद द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, तो सरकार मुख्य मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री पर यह कष्टप्रद उत्तरदायित्व क्यों सौंपना चाहती है कि वे ऐसे मामलों की जांच करें और वे केन्द्र में तथा राज्यों मे आम्बुड़समैन की नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं करते ताकि राजनैतिक उत्तरदायित्व की भावना से मुक्त होकर इन मामलों पर विचार किया जा सके ।

यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ऐसे किसी मामले पर शीघ्र निर्णय करने में असमर्थ रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है। उसकी रिपोर्ट उनके सामने है फिर भी उन्होने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री नंदा : रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई और रोज इस पर विचार किया जा रहा है और इस प्रकार इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री रंगा : यदि आप निर्णय करने में असमर्थ है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं यह काम सौंप देते जिसका राजनीति से कोई संबंध न हो।

श्री बासप्पा : जिन लोगों ने मैसूर के मुख्य मंत्री पर आरोप लगाए थे क्या उनके बारे में जांच की गई थी और क्या इस मामले पर मैसूर विधान सभा में पूरी तरह बहस नहीं हुई थी और क्या यह भी सच नहीं है कि शरावती परियोजना में कोई गड़बड़ नहीं है ? सर्वश्री कु० ल० राव और दासप्पा ने इसका परीक्षण किया था और ये आरोप निराधार निकले थे। तो अब मैसूर के मुख्य मंत्री के नाम पर धब्बा क्यों लगाया जा रहा है ? यदि सारे आरोप गलत साबित हो जाएं तो इन लोगों को सभा से त्यागपत्र दे देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आवेश में आने की जरूरत नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, किसी सदस्य का विरोधी दल के या अन्य सदस्यों को "ये लोग" कहना उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अन्य सदस्यों की बात की जाय तो वे चाहे किसी भी पक्ष के हों उन के लिए सम्मान और सौजन्य दिखाना चाहिये।

श्री नाथ पाई : क्या इन्हें मालूम है कि इन्हीं के दल के सदस्यों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उससे मेरा कोई वास्ता नहीं **(अन्तर्बाधाएं)**। क्या यहां ऐसे ही काम चलेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने आपकी राय को चुनौती दी है ?

An hon. Member : How would corruption be eradicated ?

Mr. Speaker : Would it help eradicate corruption if we started fighting here ? I am giving the same advice to him as I give to you.

Shri Sarjoo Pandey : It is the duty of that Party to ....

Mr. Speaker : Kindly resume your seat and let me do my duty.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को तो छोड़िए कि ये आरोप कांग्रेस वालों ने लगाएं हैं या विरोधियों ने, क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्टें आने के बाद भी निर्णयमें देरी का एक कारण यह है कि कांग्रेस में श्री अतुल्य घोष जैसे शक्तिशाली प्रभाव हैं जो अन्तिम निर्णय नहीं होने देते? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम क्यों ले रही हैं आप।

श्रीमति रेणु चक्रवर्ती : वे सभा में हैं और अपनी सफाई दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नाम लेना उचित नहीं जिनके बिना ही प्रश्न आसानी से समझा जा सकता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों द्वारा गोली चलाना

\+
*429. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1964 को भारतीय राज्यक्षेत्र में स्थित सोनामुरा सब-डिवीजन के ग्राम आनन्दपूर में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सहायता से भारतीय गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय गश्ती टुकड़ी को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) भारतीय सिपाही की रिहाई के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

8 अक्तूबर, 1964 को प्रातः साढ़े आठ बजे के लगभग एक भारतीय गश्ती दल (जिस में आनंदपूर सीमा चौकी का एक थानेदार और पांच सिपाही थे) सीमा पर गश्त लगाने गया। जब ये लोग आनंदपुर की ओर जा रहे थे तो पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के लोगों ने जो सीमा के 100 गज अन्दर भारतीय क्षेत्र में घात लगाए बैठे थे, इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिससे एक सिपाही घायल हुआ। उसे ये लोग 50 कारतूसों सहित उठाकर ले गये। बाद में वह सिपाही मर गया। 21–10–64 को पूर्वी पाकिस्तान के सेक्टर कमांडर ने त्रिपुरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट को सूचना दी कि एक लाश पाकिस्तानी क्षेत्र में मिली थी और वह कोमिला पुलिस को सौंप दी गई। त्रिपुरा सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से इस बात पर कड़ा विरोध प्रकट किया है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सिपाहियों ने पहले तो हमारे गश्ती दल पर गोली चलाई और उसके बाद हमारे सिपाही को उठा ले गए जो बाद में घावों के कारण चल बसा। त्रिपुरा सरकार ने फौरन क्षतिपूर्त्ति दिए जाने की मांग की है। उधर पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने उल्टा यह झूठा आरोप लगाया है कि हमारा गश्ती दल पशु चुराने के लिये पाकिस्तानी क्षेत्र में जा घुसा था और उसने वहां गोली चलाई। हमारे कड़ा विरोध करने पर पूर्वी पाकिस्तान सरकार मिली जुली जांच के लिये तैयार हो गई है।

Shri Yashpal Singh : Would the Government state what special qualities the Pakistani soldiers possess that they encroach upon our territory often and succeed in kidnapping our personnel and we are unable to cope with them?

Shri Hathi : As I stated, we also cope with them sometimes......

Mr. Speaker : Why do you say 'sometimes' ?

Shri Hathi : I mean to say that we sometimes return their fire.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of similar incidents that took place this year ? How many times have the Pakistanis encroached upon our territory and succeeded in kidnapping our personnel?

Shri Hathi :The information has been given in answer to an earlier question; I do not have the figures with me at the moment.

Shri Yashpal Singh : How many incidents of that type have taken place......

Mr. Speaker : He says that the information has been given already.

Shri Vishram Prasad : The statement speaks of a counterclaim by the Pakistanis that our patrol party had trespassed into Pakistan territory for the purpose of lifting cattle and that they had opened fire there. How far is that true and whether any joint inquiry has been held?

Shri Hathi : There has been no such enquiry till now.

Shri Vishram Prasad : Had our patrol party trespassed into East Pakistan as claimed by the Pakistanis for lifting cattle?

Mr. Speaker : That was their claim, not ours. We have already given our version. How can we say whether their claim is right ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने अपने गश्ती दलों से कहा है कि उधर से हमला करने वालों को अच्छी मार लगाए जिस से कि उनको समझ आ जाए ?

श्री हाथी : हमने उन्हें सब हिदायतें दे दी हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, त्रिपुरा क्षेत्र से हज़ारों पशु उठाकर पाकिस्तान ले जाए गये हैं । पाकिस्तान सरकार ने यह कहानी गढ़ी है कि हमारे गश्ती दल उनके क्षेत्र से पशु चुराने जाते हैं । पाकिस्तान सरकार ने जो मिली जुली जांच करना मान लिया है, उस में इस सारे प्रश्न पर विचार होगा या नहीं ? ये जांच शुरू हुई है या नहीं और क्या पाकिस्तान ने कोई पशु लौटाया है ?

श्री हाथी : यह संयुक्त जांच तो इसी घटना के बारे में है, सभी घटनाओं के बारे में नहीं ।

Shri Rameshwaranand : The Pakistanis often trespass into our territory; sometimes they kidnap people and at others they lift cattle and other property. Is our border unprotected and we are short of soldiers to defend the borders?

Shri Hathi : We have made arrangements for that.

Mr. Speaker : What Swamiji meant to ask was whether we had troops for the defence of our borders.

Shri Hathi : And I replied Sir that we had troops guarding our borders.

Shri Bhagwat Jha Azad : The statement says that the Tripura Government have lodged a strong protest and have also demanded compensation. When the number of such incidents is on the increase and when compensation is not paid by the Pakistan Government as demanded by us, what steps do the Government take ? Or, do they sit with their fingers crossed after having made the demand for compensation ?

Shri Hathi : We have protested against this and asked for the payment of compensation. Pakistan has stated that it was the Indian border patrol which trespassed into Pakistani territory fired on the Pakistanti border patrol and lifted cattle. We have told the Pakistani Government that the counter-accusation is wrong and baseless and that no such thing, as climed by them, happened. We entered into correspondence with the Pakistan Government to impress upon them the falsity of their counter-charges. After strong protests and a demand for a joint enquiry into the incidents the Pakistan Government have agreed to hold such an inquiry.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि इस प्रकार की गोली वर्षा को रोकने के लिये एक तटस्थ क्षेत्र बनाया जाय ?

श्री हाथी : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या इस प्रकार की संयुक्त, जांचों में कभी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसे दोनों पक्ष मानते हों और क्या उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार से उनके आक्रमण के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्त्ति मिली है ?

श्री हाथी : जहां तक इस घटना का संबंध है, इस पर संयुक्त जांच करायी जाएगी ।

Shri Sarjoo Pandey : The Pakistani soldiers have kidnapped Indian citizens many times for which protests have been lodged by our Government. Have the Government of Pakistan paid compensation in any one single case ?

Shri Hathi : I don't know; I think not.

Shri Onkarlal Berwa : We have received arms aid from foreign countries and they have stipulated that we should not use those arms and ammunition against Pakistanis. Is it because of that that we are unable to deal with the Pakistani raiders ?

Shri Hathi : It is not that. We are dealing with the raiders.

Shri Sheo Narain : When would the joint inquiry be held ?

Shri Hathi : Twenty-eighth November was the date for the commencement of the inquiry. But the commander who was to take party in the inquiry from the Pakistani side, we insisted that he should be area commander.

Shri Tulshidas Jadhav : Have we received any compensation from Pakistan whether in this case or any other ?

Shri Hathi : I don't think that we have received any compensation from Pakistani in any case.

गोआ का विकास

+

*430. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अल्वारेस :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राज्यक्षेत्र में अब तक हुई प्रगति तथा उसके विकास में बाधक बातों का पता लगाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल में वहां का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन दौरे के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या उनके द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर गोआ के पर्याप्त विकास के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) : विकास योजनाओं के सर्वांगीण सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन और उसको अधिक साधन सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है । उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हाथी : सर्वेक्षण रिपोर्ट कोई नहीं थी । प्रश्न मेरे गोआ जाने के सम्बन्ध में है । मैं वहां गया और मैंने अध्ययन किया और कुछ राय बनाई है । सर्वेक्षण रिपोर्ट का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दिया गया है । इसी कारण मैंने पूछा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सर्वेक्षण माननीय मंत्री के गोआ के दौरे के सम्बन्ध में नहीं था ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या गोआ के विकास की समुचित योजनाएं बनाई गयीं हैं, और यदि हां, तो उस के लिए कितना धन रखा गया है ।

श्री हाथी : इन पर तीसरी योजना में 29 करोड़ रुपये के खर्च होने का विचार है । मैंने देखा कि योजनाएं लागू करने का काम धीमा चल रहा है । कारण यह है कि प्रशासन व्यवस्था समुचित नहीं है, तकनीकी कर्मचारियों की कमी है । इसलिए हम ने यह रवैया अपनाया है ।

श्री अल्वारिस : क्या मंत्री महोदय ने अपने दौरे में गोआ के लोगों को यह प्रलोभन दिया था कि यदि गोआ महाराष्ट्र से अलग रहे तो वहां विकास किया जायगा या उन्होंने यह आश्वासन दिया कि विकास जरूरत और साधनों की उपलब्धता के आधार पर होगा ।

श्री हाथी : गोआ का विकास किसी शर्त पर आधारित नहीं । विकास हुआ है और होगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : चौथी योजना में गोआ के औद्योगिक विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री हाथी : औद्योगिक विकास के लिए पहली जरूरत तो बिजली की है । इस काम के लिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का एक विभाग गोआ में खोला जा रहा है । उस के एक अतिरिक्त सिंचाई की परि-योजनाएं भी हैं । हम ने केन्द्रीय पानी तथा बिजली आयोग के अफसरों से कहा है कि गोआ का निरीक्षण करें ।

श्री नाथ पाई : गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग पर सरकार का रवैया उचित नहीं है और वह गोआ के विकास की चिन्ता व्यक्त करके उसे उचित सिद्ध करने की चेष्टा कर रही है । तो क्या मान-नीय मंत्री ने अपने दौरे में गोआ की इस मांग पर विचार किया कि वहां तेल शोधक कारखाना हो, शराब का कारखाना हो और इस्पात का कारखाना हो जिस के लिए गोआ बहुत उचित स्थान है ?

श्री हाथी : मैं फौरन कार्यवाही करने गोआ नहीं गया था । मैं तो वहां के प्रशासनिक ढांचे, योजना की कार्यान्विति और तत्संबंधी प्रश्नों की जांच के लिए वहां गया था । मैंने वहां किसी विशेष परियोजना की बात नहीं की ।

श्री शिकरे : क्या माननीय मंत्री ने यह देखा कि गोआ के लोग तब तक विकास के काम में दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं जब तक कि उन की राजनीतिक समस्या हल नही की जाती ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि वहां के लोग और सरकार गोआ का विकास चाहती है । ऐसी बात नहीं कि वहां उत्साह का अभाव है ।

संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण

+

*431. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यश पाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बड़े :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री, श्री जी० एम० सादिक के 17 अक्तूबर के इस प्रेस वक्तव्य की और दिलाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण ग्रथवा उसमें संशोधन करना एक कानूनी समस्या है;

(ख) विद्वान सलाहकारों के द्वारा इस प्रश्न का अध्ययन कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में कब तक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में श्री सादिक के भाषण की रिपोर्ट देखी है ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ पहलुओं पर साधारण क्रम में विचार किया गया है ।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि इस अनुच्छेद के जारी रहने से फूट डालने वालों को गड़बड़ करने का मौका मिल जाता है क्योंकि उन का कहना है कि आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिये, यदि हां, तो क्या सरकार इस का निरसन करने में तेजी से काम कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : सभी बातो को देखते हुए, सरकार का रवैया ठीक ही है, बाधक नहीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री को काश्मीर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की चिट्ठी मिली है जिस में उन्होंने कहा है कि इस प्रश्न पर फौरन फैसला किया जाय और नहीं तो वे अन्य तरीके अपनायेंगे ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

भारत नेपाल व्यापार वार्ता

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3.

श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नाथ पाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिये परिवहन सुविधायें देने के बारे मे भारत और नेपाल की सरकारों के बीच हाल में कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या उपर्युक्त वार्ता असफल हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) नेपाली तथा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलो के बीच हाल में हुई बातचीत में न केवल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करने सम्बन्धी प्रश्न पर ही नहीं अपितु अन्य अनेक मामलों पर भी विचार किया गया। बाद की समस्याओं पर करार हो गया था। परिवहन व्यापार के सम्बन्ध में हम ने महामहिम नेपाल सरकार को राधिकापुर में आवश्यक सुविधाएं पहले दी हुई है और परिवहन यातायात की देख-रेख तथा प्रबन्ध करने पर लगाये जाने वाले प्रभार सम्बन्धी प्रश्न पर, जिसकी व्यवस्था भारत तथा नेपाल की व्यापार एवं परिवहन संधि में की गई है, इस बातचीत में विशेष रूप से चर्चा की गयी। राधिकापुर में अनुमानित यातायात और दी जानेवाली सेवाओं के आधार पर कुछ प्रभारों का हिसाब कुछ समय पहले ही हमने लगाया था। इस विषय पर काठमांडू में हुई हाल ही की बातचीत पर की गई समीक्षा के प्रकाश में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने रु० 1·50 पै० मी० टन (वैगन भार में) तथा 50 पैसे प्रति पार्सल का प्रभार लगाने का सुझाव दिया। नेपाली प्रतिनिधि मण्डल ने इच्छा प्रकट की कि इस देख-रेख तथा प्रबन्ध पर कोई भी प्रभार बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए जैसा कि कलकता के बीच में से होने वाले परिवहन यातायात के मामले में है।

2. यह सत्य है कि भारत सरकार, कलकता बन्दरगाह में से होने वाली नेपाली परिवहन व्यापार के लिए सुविधाएं देने पर कुछ भी प्रभार नहीं लगाती। किन्तु स्मरण रहे कि कलकता बन्दरगाह से होने वाले भारत के विशाल समुद्रीय व्यापार के लिए कलकत्ता में पहले से ही सुविधाएं मौजूद थीं और इस लिए नेपाल से होने वाले परिवहन व्यापार को भारत सरकार को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उन्हीं उपकरणों और अधिकारियों द्वारा, चलाया जा सकता था। परन्तु राधिकापूर के मामले में, नेपाली परिवहन व्यापार के लिए नये साधनों तथा कर्मचारियों की उपलब्धि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः भारत सरकार, जबकि कलकत्ता बन्दरगाह से नेपाल परिवहन व्यापार का प्रबन्ध करने के लिए सभी सुविधाएं बिना किसी प्रभार के दे रही थीं तो यह स्वाभाविक ही था कि राधिकापूर में परिवहन व्यापार के लिए यातायात तथा देख-रेख पर होने वाला वास्तविक खर्च लगाया जाय।

3—6 L. S./65

3. मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सन्धि के अनुच्छेद में कहा गया है कि परिवहन की उपयुक्त लागत को छोड़ (जो परिवहन की उचित लागत के अनुकूल होगी) परिवहन का माल सीमा शुल्क और अन्य वैसे प्रभारों से मुक्त होगा।

4. जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह प्रभार बहुत ही कम है जोकि प्रति मी० टन 30 अमरीकी सेंट अथवा $2\frac{1}{4}$ शिलिंग प्रति टन से कम पड़ेगा।

5. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नेपाल की महामहिम सरकार तथा पाकिस्तान सरकार ने 1962 से किसी भी तरफ से 1 करोड़ रु० मूल्य के माल का आदान प्रदान करने का व्यापार करार किया था जोकि परिवहन में औसतन लगभग 10,000 (दस हजार) मी० टन होगा और इस लिए, रु० 1.50 पैसे प्रति मी० टन के प्रस्तावित प्रभार का अर्थ होगा—1 करोड़ रु० के परिवहन व्यापार पर कुल प्रभार लगभग 15,000 रु०। इस बात पर कुछ गलत-फ़हमी रही है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को महत्व देगा तथा यह अनुभव करेगा कि भारत द्वारा प्रस्तावित प्रभार की मात्रा कितनी नगण्य है। इस समस्या पर अभी निकट भविष्य में बातचीत जारी रहने की आशा है और आशा की जाती है कि दोनों के लिये सन्तोषजनक हल निकल आयेगा।

6. भारत सरकार की यह मंशा नहीं है कि नेपाल और पाकिस्तान या अन्य देशों के साथ नेपाल के व्यापार के विकास में कोई बाधा डाली जाय। हम सदा यह सोचते रहे हैं कि अधिका अधिक देशों के साथ व्यापार हो, और नेपाल के साथ मित्रता और गहरे संबंध को देखते हुए हम ने नेपाल के भारत से होकर आने जाने वाले माल के लिए सभी सम्भव सुविधाएं दी हैं। व्यापार सम्बन्धी आन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की इस नीति की सराहना की गयी है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि नेपाल के साथ बातचीत में कुछ बातों पर समझौता नहीं हुआ। वे बातें क्या थीं, यह स्पष्ट नहीं हुआ। क्या यह सच है कि काठमाण्डू-लासा सड़क बनाने के बाद से चीन सरकार का नेपाल पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है और क्या सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि नेपाल उस दबाव में आकर पकिस्तान के अधिक निकट जा रहा है और इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : यह धारणा गलत और निराधार है। बातचीत से यह प्रकट था कि नेपाल का व्यापार अन्य देशों की अपेक्षा भारत के साथ अधिक बढ़ रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि भारत के साथ नेपाल का व्यापार जो श्री शास्त्री के नेपाल के दौरे के बाद कुछ बढ़ा था, हाल ही में घटता दिखाई दिया है और पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है।

श्री मनुभाई शाह : भारत के साथ नेपाल का व्यापार बराबर बढ़ रहा है। दूसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार के साथ तुलना ठीक नहीं। उस का 90 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ है।

Shri Yashpal Singh : Have the Government considered the question that in view of her increasing relations with both Pakistan and China, Nepal has lost the right to come to the conference table with India ?

Shri Manubhai Shah : No such assumption is correct. As I stated in my reply agreement has been reached on many matters. The only thing on which we were unable to agree was service charges. The talks would continue; they have not broken down.

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री महोदय ने माना कि बातचीत 15,000 रुपये की मामूली राशि के प्रश्न पर टूटी, नेपाल के साथ हमारी मित्रता अमूल्य है और नेपाल की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्या यह अच्छा न होता कि भारत सन्धि का हवाला देने की बजाय उदारता से काम लेता और यह देखाता कि यह वाणिज्यिक ही नहीं, राजनीतिक प्रश्न भी है, यदि केवल 15,000 रुपये की ही बात थी तो बातचीत क्यों टूटने दी गयी ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने कहा बातचीत टूटी नहीं है। बहुत सी बातों पर समझोता हुआ। सन्धि के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवा प्रभार की वसूली का हमें अधिकार है और हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : नेपाल को जो सुविधाएं दी गयी हैं वे क्या उन की अपेक्षा अधिक हैं जो दूसरे देशों को दी गयी हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हम ने नेपाल को उन की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाएं दी हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार सभी देशों से परिवहन सुविधाओं के लिए सेवा प्रभार ले रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : हम ये सुविधाएं किन देशों को देते रहे हैं और दे रहे हैं और उन्हें किन शर्तों के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री मनुभाई शाह : मैं एक उदाहरण दूंगा। ईरान को हमारा माल पाकिस्तान हो कर जाता है और वहां से भारत को भी पाकिस्तान होकर माल आता है। पाकिस्तान सभी मालपर आयात शुल्क का सोलहवा भाग ले लेता है। पाकिस्तान हम से अधिक सेवा प्रभार ले रहा है --हमारी तुलना में यह दस या पंद्राह गुना हैं।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री के वक्तव्य में कुछ विषमता है। बातचीत के बाद जारी की गयी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बातचीत सफल नहीं हुई। और अब उन का वक्तव्य और ही है ? क्या वैसी विज्ञति निकली थी या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : कुच न कुछ मतभेद तो मित्रों में भी रहता है। हमें विश्वास है कि यह मतभेद आगे बातचीत में बाधक नहीं होगा और मतभेद दूर हो जायगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक कारखाने में विस्फोट

*432. { **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :
श्री तन सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकीं :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1964 को अल्वाय (केरल) स्थित फर्टिलायझर एंड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि० फैक्टरी के अमोनियम प्लांट में कोई विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) उपकरण को कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिये किसी जांच का आदेश दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तीन।

(ग) 44,090 रुपये।

(घ) जी हां। इस दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति इस नतीजे पर पहुंची कि जब कार्य सामान्य स्थिति में हो रहा था तब पाइप के अचानक खराब हो जाने के कारण दुर्घटना हुई।

युवक समारोह

*434. { **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि भविष्य में युवक समारोह ग्रामीण क्षेत्रों में किये जांय जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने सुझाव दिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : जी हां। प्रधान मंत्री के इस सुझाव पर कि भविष्य में अंतर विश्वविद्यालय समारोह ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाएं सरकार निश्चय ही ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

Resignation of Dr. Kichlu, Director, N. P. L.

*435. { **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Rameshwar Tantia :** **Shri P. C. Borooah :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the reason for the resignation by Dr. P. K. Kichlu, the Director of National Physical Laboratory is due to his differences with the D.G.S.I.R.;

(b) whether D. G. S. I. R. recommended the promotion of one Junior Assistant Director which was not accepted by Dr. Kichlu;

(c) whether the age of Dr. Kichlu is more than 65 years and this fact was not taken into consideration by the committee while entering into an agreement with him; and

(d) whether Dr. Kichlu said in his press statement that the statement by the Hon. Minister of Education that 'he tendered the resignation as he was 65 years of age' was wrong ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Dr. Kichlu tendered his resignation on the ground that the merit promotion of an Assistant Director in the N. P. L. could not be considered except on the recommendation of the Director, National Physical Laboratory, alone.

(b) The D. G. S. I. R. had suggested that an Assistant Director in the N. P. L. may be considered for merit promotion by the Merit Assessment Committee.

(c) At the time the Selection Committee considered the appointment of Dr. Kichlu as Director, National Physical Laboratory, Dr. Kichlu had not reached the age of 65 years but the fact that the prescribed maximum age limit for the posts of Directors was 65 years had not been brought to the notice of the Selection Committee.

(d) I did not make any such statement. On 20th November, 1964 while answering a Starred Question in the Rajya Sabha asking whether Dr. P. K. Kichlu had resigned from his post or his services had been terminated; I said: "Prof. Kichlu tendered his resignation and wanted to be relieved by 3rd October, 1964 which was accepted. Earlier, he was given notice in terms of the contract of his appointment for relinquishing the Directorship of the National Physical Laboratory with effect from 9th December, 1964 on which date he would have crossed the age of 65 years".

विदेशों के लिये सांस्कृतिक मिशन

*436. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने केन्द्रीय सरकार को यह परामर्श दिया है कि विदेशों के लिये सांस्कृतिक मिशनों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो अपने इस सुझाव के समर्थन में परिषद् ने क्या कारण दिये हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के लिए प्रस्तावित मसौदे के अन्तर्गत परिषद ने विदेशों में दस सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ख) भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे कार्यकलापों को हाथ में लेना जिन्हें भारतीय मिशन संचलित नहीं कर सकते।

(ग) इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

वैज्ञानिक अनुसंधान

*437. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक प्रतिभा वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को अनुसंधान कार्य की ओर आकर्षित करने के के लिये क्या प्रयत्न किये गये है ;

(ख) क्या एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है जिससे असाधारण प्रतिभा वाले नववैज्ञानिकों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो समिति में कौन कौन सदस्य होंगे तथा मौलिक कार्य के लिये सतत प्रोत्साहन देने के लिये समिति पुर्नविलोकन का कौन सा तरीका अपनायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका--"रिसर्च एज ए कैरियर"--की ओर आकर्षित किया जाता है। पत्रिका की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) 1958 में योग्यता के आधार पर पदोन्नतियों की मंजूरी की योजना चालू की गयी थी। पदोन्नति की मंजूरी के वास्ते प्रत्येक वैज्ञानिक के बारे में विचार करने के लिए गुणावगुण निर्धारण समितियां नियुक्त की गयी हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उप-सभापति समिति के अध्यक्ष है और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान के महा-निदेशक तथा प्रयोगशाला के निदेशक (जिन से वैज्ञानिक का सम्बन्ध है) सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक-कार्य से सम्बन्धित क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञ, उप-सभापति द्वारा समिति के सदस्य के रूप में, मनोनीत किए गए है। समिति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकीय कार्य का पुर्नविलोकन करती है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

*438. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नम्बियार :
डा० सारदीश राय :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर के कौंडन्पलयम शिबिर में रहने वाल पूर्वी पाकिस्तान के कुछ शरणार्थी विरोध प्रकट करने के लिये शिविर छोड़कर चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) 436 व्यक्तियों के 114 परिवार 18 अक्टूबर 1964 को कोयम्बटूर, कौंडन्पलयम के निकट सन्यानूर शिविर को छोड़कर चले गये थे। तीन शिक्षित व्यक्तियों को मुद्रणालय, भारत सरकार, पैरियानायकनपलयम में रोजगार की पैशकश की थी। उन्होंने इस पैशकश का लाभ न उठाया। फलस्वरूप उनकी नकद सहायता बंद कर दी गई और वे शिविर छोड़कर चले गये। शेष परिवार शिविर इस कारण छोड़कर चले गये कि वे धान की खेती के लिये भूमि मांगते थे और कृषि के अतिरिक्त कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं थे।

Will of Shri Nehru

*439. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri H. C. Soy :
Shri Besra :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the will of Shri Nehru would be included in curriculum;

(b) whether a part or whole of it would be included in the curriculum; and

(c) the propriety of including personal wills in curriculum ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c) A suggestion in this regard is under consideration.

त्रिभाषाई फार्मूला

*440. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारदीश राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा स्वीकृत त्रिभाषाई फार्मूले से अंग्रेजी के स्थान पर दूसरी भाषा को अखिल भारतीय भाषा बनाने में कहां तक सहायता मिली है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष के मुख्य मंत्री सम्मेलन में क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाने के मूल विचार को बदल दिया गया है और त्रिभाषाई फार्मूले के निर्माताओं के विचारों के विपरीत किसी भारतीय भाषा के सिद्धान्त को लागू कर दिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) त्रिभाषाई फार्मूले में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित भाषाएं पढाने का प्रबन्ध है :

(1) क्षेत्रीय भाषा और मातृ-भाषा ;

(2) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को छोड़कर कोई आधुनिक भारतीय भाषा ; तथा

(3) अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

इस फार्मूले ने देश-भर में हिन्दी को फैलाने में सहायता दी है किन्तु इसमें अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को रखने के बारे में नहीं सोचा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में आजकल विद्यार्थी दूसरी भाषा के पत्र के लिये किसी भी भारतीय भाषा को, जिसमें संस्कृत भी आजाती है, ले सकते हैं।

दण्डकारण्य के लिये उद्योग

*441. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० सारदीश राय :
श्री० दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में ही दण्डकारण्य का, संघ वित्त मंत्री के साथ, वहां पर उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये दौरा किया था ; और

(ख) क्या इस अध्ययन के आधार पर कोई योजना बनाई गई है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हाल में ही वित्त मंत्री के साथ मैंने दण्डकारण्य क्षेत्र में आगे विकास की संभावनाओं के सम्बन्ध में दौरा किया था। उपलब्ध सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां खनिज तथा बन साधनों के सम्बन्ध में उद्योग स्थापित करने की कुछ संभावनायें हैं। तथापि निम्न लिखित के सम्बन्ध में छानबीन तथा सर्वेक्षण करने होंगे :—

(1) संचार विस्तारण की संभावना ;

(2) शक्ति की उपलब्धि ; और

(3) खनिज तथा वन साधन।

(ख) कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में अन्वीक्षात्मक चुनाव किया गया है किन्तु विशिष्ट प्रस्तावों को छान बीन तथा सर्वेक्षण के पूर्ण होने पर ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

Explosion in Delhi

*442. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an explosion at Asaf Ali Road, Delhi in the meeting sponsored by the Delhi Pradesh Congress on 29th November, 1964 which was attended by the Home Minister also;

(b) whether it is also a fact that these incidents of explosions have again started after a brief period; and

(c) if so, the steps Government are taking to stop such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir. When the sixth Political Conference of the Delhi Pradesh Congress Committee was beng addressed by the Home Minister in the Ram Lila Grounds, a cracker report was heard. The report was found to have been caused by the bursting of an ordinary cracker on Asaf Ali Road at a distance of more than hundred yards from the venue of the Conference.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

फ्रांस के साथ वैज्ञानिक सहयोग

1142. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और फ्रांस की राष्ट्रीय अनुसन्धान परिषद् के बीच सहयोग का कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है ; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उड़ीसा के कालेजों को अनुदान

1143. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1963–64 में उत्कल विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालेजों को कितने अनुदान मंजूर किये और वे किन-किन कालेजों को मिले ; और

(ख) 1964–65 में इन संस्थाओं को बांटने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—3578/64]**

(ख) कोई निश्चित अनुदान पहले से नियत नहीं किये जाते । विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रति वर्ष उनके प्रस्तावों के गुण-दोष और स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करने में बताई गई प्रगति के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ।

विदेशों में अध्ययन करने वाले उड़ीसा के विद्यार्थी

1144. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के कितने विद्यार्थी सरकारी खर्च पर विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) उड़ीसा राज्य के ही कितने विद्यार्थी अपने खर्च पर विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में संगीत और साहित्य अकादमियां

1145. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी और उड़ीसा साहित्य अकादमी को 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके विकास के लिये उक्त अवधि में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अकादमियों को चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि दी गई या देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग) उक्त अवधि में इस मंत्रालय ने कोई अनुदान मंजूर नहीं किया, क्यों कि राज्य अकादमियों को उनकी राज्य सरकारें चलाती हैं ।

परन्तु विशेष परियोजनाओं के लिये अनुदान केन्द्रीय संगीत नाटक आकादमि द्वारा राज्यों की अकादमियों को दिये जाते हैं, किन्तु उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी को 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में कोई अनुदान नहीं दिया गया और 1964-65 में अभी तक वहां से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

केन्द्रीय साहित्य अकादमी राज्यों की साहित्य अकादमियों को अनुदान नहीं देती ।

केरल भवन पट्टा और किराया नियंत्रण अधिनियम

1146. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भवन पट्टा और किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

पुनर्वास के लिये भूमि

1147. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाडिया :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने मार्च, 1964 तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को कितनी भूमि दी थी ;

(ख) दण्डकारण्य परियोजना द्वारा कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है ; और

(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी कृषि योग्य बनाई गई भमि कोरापुट तथा बस्तर जिलों में (उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्य) आदिवासियों को दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जब राज्य सरकार द्वारा पुनः संस्थापन के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है और जो खण्ड सामान्यतया पुनः संस्थापन के लिये उपयुक्त पाये जाते हैं वे राज्य सरकार को मुक्त करने के लिये बता दिये जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा भूमि मुक्त कर दिये जाने के बाद मिट्टी का सर्वेक्षण किया जाता है और खेती के लिये उपयुक्त क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करके उन्हें खेती योग्य बनाया जाता है ।

31 मार्च, 1964 तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने 1,78,389 एकड़ भूमि (मध्य प्रदेश में 63,838 एकड़ और उड़ीसा में 1,14,551 एकड़) मुक्त की थी। इस क्षेत्रफल में से लगभग 1,08,000 एकड़ कृषियोग्य बनाने के लिये उपयुक्त पाई गई।

(ख) 30 सितम्बर, 1964 तक 1,07,062 एकड़ भूमि में से पेड़ काट दिये गये हैं। इस क्षेत्रफल में से 95,599 एकड़ (मध्य प्रदेश में 27,214 एकड़ और उड़ीसा में 68,385 एकड़) भूमि पूरी तरह से कृषि योग्य बनाई जा चुकि है।

(ग) राज्य सरकारों के साथ हुए करार के अधीन कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से 25 प्रतिशत दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा भूमिहीन आदिवासियों के लिये अलग रख दी जाती है। कुछ मामलों में राज्य सरकारें कृषियोग्य बनाये गये क्षेत्र से बाहर आदिम-जातीय परिवारों के पुनः संस्थापन के लिये स्थान बताती हैं और दण्डकारण्य विकास-प्राधिकरण उन क्षेत्रों में विशेष कृष्यकरण की व्यवस्था कर देता है। इस आधार पर आदिवासियों के लिये नियत किया जानेवाला अभ्यंश 23,900 एकड़ बनता है। दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण 18,314 एकड़ कृषियोग्य भूमि (मध्य प्रदेश में 5,066 एकड़ और उड़ीसा में 13,248 एकड़) अब तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों को सौंप चुका है। इस क्षेत्रफल में से 13,409 एकड़ भूमि (मध्य प्रदेश में 4,966 एकड़ और उड़ीसा में 8,443 एकड़) राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों को बांटी जा चुकी है। (मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आंकड़े 30 दिसम्बर, 1964 तक के हैं और उड़ीसा के सम्बन्ध में आंकड़े 30 जून, 1963 तक के हैं)।

शेष के बारे में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण उड़ीसा सरकारने मनुष्यों द्वारा कृषियोग्य बनाये जाने के लिये जो लगभग 1800 एकड़ का क्षेत्रफल चुना है उसका लागत व्यय देने को सहमत हो गया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारो से क्रमशः 1,737 एकड़ और 2,048 एकड़ के बारे में स्थान के व्यौरे सहित प्रस्ताव मांगे गये हैं।

पुनर्वास व्यय

1148. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाडिवा :

क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा दण्डकारण्य परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन में प्रति विस्थापित कृषक परिवार के लिये प्रतिव्यक्ति कितने पुनर्वास व्यय का अनुमान लगाया गया है;

(ख) इस में से कितना भूमि, ऋण और रख-रखाव के लिये नियत किया गया है ;

(ग) दण्डकारण्य परियोजना में मार्च, 1964 वर्ष के अन्त तक विस्थापित व्यक्ति के प्रति कृषक परिवार पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च बढ़ गया है ; और

(घ) आदिमजातीय परिवारों पर प्रति व्यक्ति व्यय इसकी तुलना में कम है या अधिक ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना के प्रारम्भिक परियोजना प्राक्कलनों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह हिसाब लगाया था कि 12,000 परिवारों के आधार पर (7,000 कृषक और 5,000 गैर-कृषक) पुनर्वास पर प्रति व्यक्ति लगभग 6,090 रुपये (47,100 रुपये भूमि 850 रु० तकावी ऋण और 540 रु० संधारण अनुदानों के लिये) खर्च होंगे। किंतु वास्तव में प्रारम्भिक वित्तीय अनुमानों में जो 12,000 परिवारों की परिकल्पना की गई थो उसके बदले केवल 9,000 परिवारों के लिये कृषि योग्य बनाने, आवास आदि के लिये, जिन में आदिमजाति के लोग भी शामिल हैं, उपबन्ध किया गया था। चूंकि कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से 25 प्रतिशत आदिमजाति के लोगों के लिये थी अतः इस में 1,770 आदिमजातीय परिवार आ जायेंगे। विस्थापित व्यक्तियों के शेष 7,230 परिवारों के सम्बन्ध में प्रति परिवार अधिक ठीक अनुमान 9,850 रुपये होगा।

(ग) और (घ) 31-3-1964 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्त में परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति व्यय, जिस में कार्य-स्थल शिविरों, रख-रखाव और आर्थिक सहायता, गांवों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय तथा सामान्य विकास पर व्यय का एक भाग और अन्य ऊपरी व्यय भी शामिल है, 11,705 रुपये पड़ता है। ज्यों ज्यों और परिवारों को बताया जायेगा ये आंकड़े घट जायेंगे। दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर बसाये गये भूमिहीन आदिमजाति परिवारों के सम्बन्ध में तत्संवादी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

परन्तु जैसा कि प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है, कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से 25 प्रतिशत आदिमजातीय परिवारों को बांटने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है। राज्य सरकारों के जरिये मकान बनाने और बीज तथा औज़ार खरीदने (प्रति परिवार 1,300 रुपये) आदिमजातियों के गांवों में प्राथमिक स्कूल खोलने, अन्दर की सड़कें बनाने आदि सामान्य सुविधाओं के उपबन्ध के लिये (500 रु० प्रति परिवार) भरण-पोषण (प्रति परिवार 200 रुपये) और भेड़ बांधने के लिये (प्रति परिवार 315 रुपये) के अनुदान भी दिये जाते हैं।

दण्डकारण्य के संस्थापन क्षेत्र में विकास तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यों से न केवल विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है, अपितु भूमिहीन आदिमजाति के लोगों को, जो वहां बसाये जाते हैं और अन्य स्थानीय निवासियों को भी लाभ पहुँचता हैं। इन में अस्पताल, शिक्षा संस्थायें, सिंचाई बांध, मलेरिया उन्मूलन और विस्तार सेवायें शामिल हैं।

आदिवासियों का दण्डकारण्य में पुनः संस्थापन

1149. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाडिवा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में इसके आरम्भ से प्रति (1) विस्थापित परिवार; और (2) आदिमजातीय परिवार के पुनर्वास पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ;

(ख) विस्थापित परिवार और आदिमजातीय परिवार के पुनः संस्थापित पर किये गये व्यय में यदि कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) विस्थापित परिवारों और भूमिहीन आदिमजाति के लोगों के मामले में सामान्य विकास व्यय किस प्रकार से बांटा जाता है; और

(घ) इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक को कितना ऋण और कितना अनुदान दिया जाता है?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) विस्थापित परिवारों के लिये खेती के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाने और घरों के प्लाट बनाने की लागत प्रति परिवार 2,590 रुपये पड़ती है। प्रत्येक विस्थापित परिवार को बीज, खेती के औजारों, बैलों आदि मकान बनाने, चारपाई और सहायक व्यवसाय के लिये 2,868 रुपये तक की सीधी पुनर्वास सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। आदिमजाति के परिवारों को दी गई भूमि को कृषियोग्य बनाने पर उतना ही खर्च होता है जितना विस्थापित परिवारों पर होता है। प्रत्येक आदिमजाति परिवार को मकान बनाने, बीज, औजारों और बैलों के लिये 1,300 रुपये तक की सीधी पुनर्वास सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। सामान्य सुविधाओं तथा सामान्य विकास जैसे सड़कों, सिंचाई तथा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ विस्थापित व्यक्तियों और भूमिहीन आदिमजाति के लोगों दोनों को मिलता है।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना में व्यय विभिन्न मदों के अन्तर्गत योजनावार नियत किया जाता है और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि क्या यह विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में है या सामान्य विकास अथवा भूमिहीन आदिमजाति के लोगों के सम्बन्ध में है या तीनों के सम्बन्ध में है। परन्तु प्रशासनिक प्रयोजन के लिये (क) सामान्य विकास (ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, और (ग) सम्पत्ति तथा वसूलियों के शेष मूल्य के बीच उपयुक्त अनुपात में बांट दिये जाते हैं।

(घ) **पुनर्वास सहायता निम्नलिखित को उपलब्ध होती है :**

(1) विस्थापित परिवार (कृषक)

ऋण 2,868 रुपये और कुछ मामलों में अतिरिक्त उर्वरक के लिये 165 रुपये।

पहली फसल (7 मास) में 30 रु० से 70 रु० तक प्रति मास की विभिन्न दर से, जो परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है और दूसरी फसल (7 मास) में उससे आधी दर पर भरण-पोषण अनुदान।

अनुदान और ऋण के बीच बंटवारा होने तक की राशि : 4,401 रुपये।

(2) **विस्थापित परिवार (गैर-कृषक) ग्रामीण**

ऋण : 3018 रुपये।

पुनः संस्थापन क्रम आरम्भ होने पर 3 मास तक 30 रु० से 70 रु० तक प्रति मास की विभिन्न दर से अनुदान जो परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

अनुदान और ऋण के बीच बंटवारा होने तक की राशि : 2,132 रुपये

(3) **विस्थापित परिवार (गैर-कृषक) (नगरीय और अर्ध-नगरीय)**

ऋण : 4,000 रुपये।

पुनः संस्थापन क्रम आरम्भ होने पर 3 मास तक 30 रु० से 70 रु० प्रति मास की विभिन्न दर से अनुदान, जो परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

(4) **आदिमजाति परिवार**

ऋण अनुदान	शून्य प्रति परिवार
कृष्यकरण	मध्य प्रदेश में 3,250 (10 एकड़) उड़ीसा में 2,225 रु० (7 एकड़)।
मकान बनाना, बीज, औज़ार, बैल . .	1,300 रुपये
भरण-पोषण अनुदान . .	200 रुपये
भेड़ बांधना . . .	315 रुपये
गांवों में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था . .	500 रुपये

मैक्सिको की सरकार का उपहार

1151. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मक्सिको की सरकार ने इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ एक आदर्श स्कूल दिल्ली प्रशासन को भेंट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आदर्श स्कूल का ब्यौरा क्या है और इस में कितना स्थान है, और

(ग) क्या सरकार का देश में ऐसे स्कूल बनाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) यह इस्पात का बना-बनाया ढांचा है, जिसमें खिड़कियां प्लास्टिक की बनी हुई हैं। इस में एक कक्षा के लिये एक कमरा है जिस में 48 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और दो कमरे का एक निवास-स्थान अध्यापक के रहने के लिये है। इस में चल-चित्र प्रदर्शन यंत्र, रेडियो, रिकार्ड बजाने वाला, विद्युत् जनयित्र, कृषि सामग्री, निर्देश पुस्तकें, रिकार्ड आदि हैं। यह स्कूल दिल्ली छावनी के निकट नरैणा गांव में खोला गया है।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पिंडी-काश्मीर सड़क

1152. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि काश्मीर के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा पिंडी-काश्मीर सड़क के जरिये काश्मीर और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रास्ता बनाने के लिये सुसंगठित और नियमित रूप से प्रयत्न किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) मुझे मालूम हुआ है कि जुलाई, 1964 में हुई जनमत संग्रह मोर्चे की एक सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिस में इस सड़क को खोलने की मांग की गई थी।

(ख) चूंकि पहले श्रीनगर को रावलपिंडी से मिलाने वाली सड़क युद्ध-विराम रेखा से कट गई है, अत: जब तक फिर से सामान्य स्थिति नहीं हो जाती तब तक इसे पुन: खोला नहीं जा सकता।

आसाम में शरणार्थी

1153. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से कितने शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में आये हैं ;

(ख) कितने व्यक्ति किन-किन क्षेत्रों में बसाये गये और कितने शरणार्थी अब भी किन-किन क्षेत्रों में शिबिरों में हैं ;

(ग) उनके पुनर्वास के लिये केन्द्र ने आसाम को कितनी सहायता दी ; और

(घ) इस प्रकार के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये केन्द्र ने अन्य राज्यों को कितनी सहायता दी और प्रत्येक राज्य में कितने शरणार्थी बसाये गये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 27 नवम्बर, 1964 तक 1,72,556।

(ख) चूंकि बरसात के कारण और कृषि योग्य भूमि खेती के योग्य नहीं बनाई जा सकी अत : शिबिरों में रहने वाले केवल 405 परिवारों को नियमित काम दे दिया गया है और उन्हें दान बन्द कर दिया गया है और 35 परिवारों को आसाम में चाय बागानों में बसा दिया गया है।

नवगांव, कामरूप, गारो पहाड़ियां, ग्वालपाड़ा, कछार, लखीमपुर, संयुक्त खासी और जयन्तिया पहाड़ियां, मिज़ो पहाड़ियां और दरांग जिलों में स्थापित शिबिरों में इस समय 1,22,276 आव्रजक हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले आव्रजकों की सहायता और पुनर्वास पर सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। एक राज्यवार विवरण, जिस में नये आव्रजकों की सहायता और पुनर्वास के लिये 30 नवम्बर, 1964 तक मंजूर की गई राशि और फिर से बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बताई गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी०-3579/64]**

Tours Undertaken by Ministers

1154. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred upto 30th September, 1964 on tours undertaken by various Ministers (including Cabinet, State and Deputy Ministers) after the formation of the Cabinet in 1962 ; and

(b) the break-up of expenditure under railway-fare and air-fare ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Jaisukhlal Hathi : (a) The information is given below :

Period	Expenditure incurred
1962-63	Rs. 8,18,837·00
1963-64	Rs. 7,72,362·00
1-4-64 to 30-9-64	Rs. 2,91,519·00

(b) Separate figures for railway-fare and air-fare are not available. The collection of this information will involve considerable labour and time, which will not be commensurate with the results.

दिल्ली में महिला पोलिटेक्नीक

1155. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के महिला पोलीटेक्नीक द्वारा दिये जाने वाले पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने इस डिप्लोमा को मान्यता प्रदान कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Oil Explorations in Jaisalamer

1156. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Naval Prabhakar :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri Karni Singhji :
Shri Tan Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the progress made in the exploration of oil in the Bikaner and Jaisalmer Districts in Rajasthan ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): Geological mapping of the rock outcrops has been completed. In addition gravity and magnetic surveys as well as seismic surveys have been completed over a wide area.

स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों की परीक्षा

1157. **श्री यशपाल सिह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने समाज कल्याण कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों की परीक्षा (स्क्रीनिंग) करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विभागों के पथप्रदर्शन के लिये कोई सिद्धांत निर्धारित किये जा रहे है ; और

(ग) इस काम को पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह प्रश्न प्रत्यक्षत: उन अनुदेशों पर आधारित है जो कि गृह मंत्री द्वारा भारत सेवक समाज और संयुक्त सदाचार समिति के प्रधान की हैसियत से उनके कर्मचारियों की परीक्षा के लिये दिये गये हैं । ये गैर-सरकारी संस्थायें हैं और गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से उन के प्रधान हैं । उन्होंने गृह मंत्री की हैसियत से स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों की परीक्षा के लिये कोई सुझाव या निदेश नहीं दिये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Petrochemical Industres near Barauni

1158. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :—

(a) whether Government propose to establish Petro-chemical industries in the vicinity of Barauni Refinery in Bihar ; and

(b) if so, the broad outlines of the project ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals Shri Alagesan : (a) Yes.

(b) It has been tentatively proposed that industries for extraction of aromatics (benzene and xylene) and for the manufacture of butadiene and acrylonitrile may be established in the vicinity of the refinery. Product patterns and other details are under study.

पाण्डु राजार ढीबी में खुदाई

1159. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पाण्डु राजार ढीबी नामक स्थान पर की गई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई में भूरे-से या लाल-पीले हाथ के बने मिट्टी के बर्तनों के विशेष टुकड़े मिले हैं ; जिन पर धान और चावल की छाप लगी हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि विश्व में मिलने वाले इस प्रकार के सुविदित पुरातत्व अवशेषों में से ये प्राचीनतम अवशेष हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी हां ।

(ख) मिट्टी के बर्तनों की ठीक-ठीक तिथि तथा संस्कृति निर्धारित की जानी है ।

दिल्ली में सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण

1160. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जनगणना-कार्य कार्यालय ने संघ राज्य-क्षेत्र के गांवों में एक सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस की उपपत्तियां क्या थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में निम्नलिखित 15 गांवों का सामाजिक व आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है :

अम्बरहई, बेगमपुर, भलसुआ, झंगीरपुर, चतेसर, चिलासरोदा, धूलसिरस, गालिबपुर, गाज़ीपूर, गोकलपुर, झटीकरा, खड़खड़ी नगर, मण्डी, सनोठ, शिंगू और समालखा ।

(ख) सात गांवों ; अर्थात् भलसुआ-झंगीरपुर, सनोठ, बेगमपुर, समालखा, गाज़ीपुर, चतेसर और झटीकरा के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हो गई हैं और उनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं । इन में जो बातें लिखी गई हैं वे सम्बन्धित गांवों के बारे में लागू होती हैं और दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र पर सम्पूर्ण रूप से लागू नहीं होतीं ।

भारतीय आर्थिक सेवा में रिक्तियां

1161. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न वर्गों के खाली पदों को भर लिया गया है ;

(ख) क्या इस सेवा के चतुर्थ वर्ग में बाहर से की जाने वाली भर्ती पूरी हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितने पद भरे गये हैं; और

(घ) इस सेवा को भविष्य में चालू रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) अब भी कुछ खाली पद हैं जो छै मास से अधिक समय से खाली पड़े हुए पदों को भरने पर लगे हुए प्रतिबन्ध के कारण भरे नहीं जा सके। परन्तु इस प्रकार के खाली पदों को भरने पर लगे हुए प्रतिबन्ध को ढीला करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग) इस सेवा के चतुर्थ वर्ग में अभी तक सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(घ) इस सेवा की अधिकृत संख्या के बारे में स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है और सेवा के चतुर्थ वर्ग में सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

Cases Pending in Delhi Courts

1162. Shri Ram Sevak Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of old cases are pending before magistrates appointed under the Delhi Municipal Corporation Act ;

(b) if so, the number of two or three years old cases and the sections of the Delhi Municipal Corporation Act under which the cases have been filed ;

(c) whether these cases include political cases also, if so, the number thereof and for how long these have been pending ; and

(d) action being taken to expendite disposal of all these cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Two years old cases—6833

Three years old cases—4313

Sections : 320, 321, 323, 347, 357, 397, 417 and 421 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

(c) No, Sir.

(d) These cases mostly include cases of persons who are not traceable, have changed their places and cannot be found at addresses given. Strenuous efforts are, however, being made to liquidate the arrears.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अन्दमान

**1163. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त के सचिव (न्यायिक) को केवल हत्या तथा अन्य गम्भीर मुकदमों की सुनवाई करने के लिये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार दो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों एक पूर्ण सत्र न्यायाधीश और दूसरे एक जिला न्यायाधीश की बजाय एक अलग न्यायिक पदाधिकारी नियुक्त करने की, जो जिला तथा सत्र न्यायाधीश के रूप में काम कर सके, स्थानीय जनता की मांग को किस कारण नहीं मान सकी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के सचिव (न्यायिक) में निहित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियां सभी मुकदमों पर लागू होती हैं। और केवल हत्या तथा अन्य गम्भीर मुकदमों तक ही सीमित नहीं हैं।

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये जिला और सत्र न्यायाधीश का एक अलग पद मंजूर कर दिया गया है तथा इस पद की पूर्ति के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

उर्दू विश्वविद्यालय

1164. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अक्तूबर, 1964 को जयपुर में हुए अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन में की गई एक उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

घटिया मिट्टी का तेल

1165. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून स्थित भारतीय पैट्रोलियम संस्थान को बढ़िया के स्थान पर घटिया मिट्टी का तेल प्रयोग करने में सफलता मिली है ;

(ख) क्या इस संस्थान ने ऐसा घरेलू लैम्प बनाया है जिस में घटिया मिट्टी का तेल प्रयोग किया जा सकता है ;

(ग) पट्रोल-रसायन का कहां तक अनुसन्धान किया गया है ; और

(घ) क्या अशोधित तेल के अवशेष में से मिट्टी का तेल निकालने के प्रयत्न किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर): (क) और (ख) जी हां। यह संस्थान घरेलू लैम्प के वर्तमान नमूने में सुधार कर रहा है जिससे घटिया मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जा सके। इसके अध्ययन से यह पता लगा है कि यदि उपयक्त नमूने के लैम्प का प्रयोग किया जाये तो घटिया मिट्टी के तेल से भी अच्छा प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। यह काम अभी चल रहा है।

(ग) तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उपयोगी परिणाम निकले हैं : (1) टोलूईन का क्षारीकरण और अनुपात बदलना ; (2) ओषीकरण तथा अन्य विधियों से ओलीफाइन्स और ओषजनयुक्त चीजों का उत्पादन और (3) नेफ्था का उद्रजन, ओलीफाइन्स और ईंधन गैस में परिवर्तन।

(घ) जी हां। ऐसा करने के लिये उपकरण बना लिया गया है और शीघ्र ही परीक्षण आरम्भ हो जायेंगे।

श्री नोरी ब्रुक दिल्ली में

1166. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी:
श्री कजरोलकर :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री नोरी ब्रुक नामक व्यक्ति को जो एन० सी० डी बरमिंघम के नाम से नई दिल्ली के अशोक होटल में ठहरा हुआ था, गुरुवार, 8 अक्तूबर, 1964 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस ने 18 मास पूर्व श्री ब्रुक की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किया था ;

(ग) क्या ब्रुक संघ सरकार के बड़े-बड़े अफसरों से मिला था और उसने उनसे कहा था कि उसकी फर्म भारत के एक संयंत्र में 20 लाख पौंड लगाने को तैयार है ; और

(घ) उसके विरुद्ध धोका देने के मामलों में कितनी राशि ठगी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) श्री ब्रुक दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार के अफसरों से मिले थे और उसने अपने आपको दो विदेशी फर्मों का प्रबन्ध संचालक बताया था और उसने यह कहा था कि उनका भारत में एक वायु नियामक एकक (एयर कंडीशनिंग यूनिट) लगाने का इरादा है जिस पर लगभग 3,00,000 पौंड की पूंजी लगाई जायेगी ।

(घ) भारत में—2,810 रुपये ।

गोपाल विनायक गोडसे की रिहाई

1167. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपाल विनायक गोड़से को, जिसे महात्मा गांधी की हत्या के मामले में आजन्म कारावास का दण्ड मिला था, रिहा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां । गोपाल विनायक गोडसे को 13 अक्तूबर, 1964 को जेल से रिहा कर दिया गया था ।

दिल्ली प्रशासन

1168. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र को तीन छोटी इकाइयों में बांटने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली को तीन उप-एककों में विभक्त करने का प्रस्ताव है, जो तीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन होंगे । ये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट एक जिला मजिस्ट्रट के अधीन काम करेंगे, जो सारे दिल्ली के लिये उत्तरदायी होगा और जिस पर सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व होगा ।

(ग) इस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इस लिये कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती ।

Inclusion of Goan Nationals in Indian Census

1169. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about one thousand people of Goa, Daman and Diu out of the population of 6 lakhs got themselves registered under the same nationality which they had before the 21st December, 1961 when this territory was liberated ; and

(b) if so, the reasons for not including these one thousand Goan nationals in the Indian Census ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) The Census of Goa, Daman and Diu was taken in December, 1960 before the integration of the territory with the Indian Union. The return of nationality in the Census was, therefore, according to the political set up of the territory at that time. No Census of the territory was taken after its liberation on 21st December, 1961 as the Indian Census which related to 1st March, 1961 had already been completed. The data collected during the Census taken by the Portugese authorities was incoroporated in the Indian Census data. The question of excluding or including any category of persons in the Census, therefore, does not arise.

Cooperative Stores for Government Employees

1170. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have introduced the scheme of cooperative stores for the benefit of Central Government Employees ;

(b) if so, the names of places where these stores would be opened ; and

(c) the number of stores to be opened and the time by which they would start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) Stores have already been opened in Delhi as a pilot project, and are also being set up in Bombay, Calcutta and Madras.

(c) 18 Stores have been opened in Delhi. The number of stores to be opened in Bombay, Calcutta and Madras has not been determined.

नेहरू संग्रहालय

1171. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी भारतशास्त्री नेहरू संग्रहालय के लिये सामग्री भेजने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं या प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) संग्रहालय को समृद्ध बनाने के लिये रूसी भारतशास्त्रियों ने और क्या-क्या प्रस्ताव रखे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) श्रीमन्, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Supply of Caustic Soda

1172. **Shri Ulkey :**
Shri Vidya Charan Shukla :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether caustic soda is being supplied by Government to various States to meet the requirements of small-scale industries ;

(b) if so, the source from which caustic soda is obtained for that purpose ;

(c) whether it is a fact that the supply thereof to the States has not been made so far; and

(d) if so, when it is likely to be arranged ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Supplies of imported caustic soda are arranged by the Government of India to the various States through the State Trading Corporation to meet the requirements of small scale industries.

(b) Imports are mainly from United States of America and rupee-payment countries.

( ) No.

(d) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

1173. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओझा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी द्विदिवसीय सम्मेलन में प्रशासन तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यविधि को समुन्नत बनाने के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान ने अभी तक सम्मेलन की कार्यवाही औपचारिक रूप से तैयार नहीं की है । इस सम्मेलन की कार्यवाही ज्यों ही उपलब्ध हो जायेगी त्यों ही उसकी इस दृष्टि से जांच की जायेगी कि क्या उस में कोई ऐसी सिफारिश है जिस पर सरकार विचार कर सकती है ।

पाक अधिकृत काश्मीर से आनेवाले शरणार्थी

1174. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों के बारे में 25 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को अनुगृहपूर्वक अनुदान नहीं दिये गये हैं जिन्होंने मांगे गये अनुदान से कम मूल्य की सम्पत्ति के लिये अपने दावे पंजीबद्ध करवाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आने वाले आव्रजकों के वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में कोई दावे दर्ज नहीं किये गये हैं । इन आव्रजकों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान केवल पुनर्वास सहायता के रूप में मंजूर किये गये थे और इसका जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में हुई उनकी अचल सम्पत्ति की हानि से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लक्कदीव में पदाधिकारियों और अध्यापकों की पदोन्नति

1175. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्कदीव द्वीप समूह के उन पदाधिकारियों और अध्यापकों से कोई शिकायतें मिली हैं जिनकी सेवा, वरिष्ठता और अन्य योग्यताओं के बावजूद भी पदोन्नति नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का इस द्वीप समूह में पदोन्नति के सम्बन्ध में विद्यमान अनाचार की जांच करने के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) पदोन्नति सामान्य नियमों के अधीन होती है जिसका प्रशासन द्वारा पालन किया जाता है ; व्यक्तिगत अभ्यावेदनों का निर्णय उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है । पदोन्नति के विषय में अनाचार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

लक्कदीव द्वीपसमूह में अध्यापक

1176. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में लक्कदीव द्वीपसमूह में कितने अध्यापकों की सेवायें खत्म की गई ;

(ख) कितने अध्यापकों की पदावनति की गई ; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 13।

(ख) एक गैर मैट्रिकुलेट अध्यापक की पदावनति करके, जो उच्च वेतनक्रम के पद के लिये निर्धारित योग्यताओं के अनुसार उस पद के लिये अनर्ह था, उसे निम्न वेतनक्रम के पद पर भेज दिया गया था ।

(ग) इन अध्यापकों की सेवायें केन्द्रीय असैनिक सेवायें (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 के नियम 5 के अधीन खत्म की गई थीं ।

Secondary Education Commission

1177. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken in regard to the constitution of a Central Secondary Education Commission ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Arrest of a Person at Cooch-Behar Airport

1178. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a certain person was arrested recently at Cooch-Behar airport while taking photographs of places of strategic importance; and

(b) if so, the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) An air passenger travelling in a plane from Calcutta to Ambari, was arrested at Cooch-Behar airport on the 15th October, 1964, for attempting to take photographs of the airport and the plane.

(b) A case has been registered by the Government of West Bengal against him under rule 50 of the Defence of India Rules, 1962 and it is under investigation.

न्यासर्ग (हॉरमोन)

1179. **श्री ओझा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण को हाल में न्यासर्ग (हॉरमोन) का बड़ा समृद्ध स्रोत मिला है ; और

(ख) क्या सरकार ने गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये इस का परिणाम बाजार में उपलब्ध कराने हेतु कोई तरीका निकाला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) अभी इस विषय में अनुसन्धान किया जा रहा है और अनुसन्धान का अन्तिम परिणाम प्राप्त होने के बाद इस की व्यावसायिक सम्भावना पर विचार किया जायेगा ।

Works of Sanskrit Dramatists

1180. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. George T. Artola, a research fellow in the American Institute of Indian Studies at Poona has taken over the work of editing of unpublished works of Sanskrit Dramatists of Eighteenth and Ninteenth centuries ;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) when this work would be completed ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have no objection.

(c) In about a year.

उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

1181. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने 1963-64 और 1964-65 में अब तक अनावर्तक अनुदान के लिये आवेदन किया ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितना अनुदान मंजूर किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक कई प्रकार की शिक्षा संस्थायें होती हैं और इन्हें कई संगठनों जैसे, स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं। सब शिक्षा संस्थाओं को इन सब संगठनों के द्वारा दिय गये अनुदानों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त फल के अनुरूप नहीं होगा।

नेपाल को बाल सद्भावना-मण्डल

1182. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 बच्चों का एक दल नेपाल को सद्भावना-मण्डल के रूप में भेजा गया है; और

(ख) यह मण्डल किस निकाय या संगठन की ओर से भेजा गया था ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) इस मंत्रालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या ऐसा कोई मण्डल नेपाल गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काश्मीर में अग्निकांड

1183. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में गत दो मास में जो कई एक भीषण अग्निकाण्ड हुए है क्या उनकी परिस्थितियों की जांच करने के लिये सरकार ने जांच का कोई आदेश दिया है ; और

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं के बाद उस क्षेत्र में सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था की स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया गया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर सरकार ने हमें सूचित किया है कि वे इस विषय की ओर ध्यान दे रहे हैं। उनका इस विषय में समाधान हो गया है कि ये आगे मुख्यतया दुर्घटना के कारण लगी थीं और इनका कोई ऐसा कारण नहीं था जिसका असर राज्य की शान्ति और व्यवस्था पर पड़े।

जाली विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्र

1184. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अपराध पुलिस ने हाल में जाली विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्रों के एक बड़े घोटाले का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) किसी बड़े घोटाले का पता नहीं लगा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रंग बनाने वाला कारखाना

1185. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **पैट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में रंग बनाने का एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) मूलभूत रसायनों और औषधियों, रंग आदि के लिये मध्यवर्ती तत्व बनाने के लिये महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव छोड़ा नहीं गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रिक्तियों का संरक्षण

1186. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने गत दो वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये सुरक्षित किन्हीं रिक्तियों को असुरक्षित माना है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी कार्यालयों का समय

1187. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात्काल की उद्घोषणा के बाद कार्यालय के समय में जो आधा घण्टा बढ़ाया गया था क्या उसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) सरकारी कार्यालयों में आपात्काल से पूर्व का समय फिर से कर देने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

लाटरियां

1188. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारें लाटरियां चलाने के बारे में दी गई मंजूरी को वापस ले लेने के केन्द्र के सुझाव को मानने के लिये तैयार हो गयी है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : कुछ राज्य सरकारोंसे अभी तक उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में स्टालिन के चित्र

1189. **श्री हेम बरुआ :**
श्री जेना :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 14 नवम्बर, 1964 को दिल्ली नगर में स्टालिन के चित्रों की बाढ़-सी आ गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो नगर में इस चित्र आन्दोलन के लिये कौन व्यक्ति या संगठन उत्तरदायी था और इसके पीछे क्या मनोरथ था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 14 नवम्बर, 1964 को दिल्ली में कुछ दीवारों पर स्टालिन के चित्र के पोस्टर चिपके हुए देखे गये थे।

(ख) इसके लिये कौन उत्तरदायी है यह नहीं कहा जा सकता । इस आन्दोलन का उद्देश्य 14 से 18 नवम्बर, 1964 तक नई दिल्ली में हुए विश्व शान्ति तथा अन्तराष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन को बदनाम करना प्रतीत होता है ।

पुलिस आयोग

1190. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता और उपादेयता पर विचार किया है ;

(ख) गत पुलिस आयोग कब नियुक्त किया गया था ;

(ग) उसके बाद से परिस्थितियां कहां तक बदल चुकी हैं और बदली हुई परिस्थितियों और मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) आयोग के अलावा क्या अध्ययन किया गया है, परिणाम निकाला गया है और कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पुलिस आयोग नियुक्त करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) गत आयोग भारत सरकार ने 1902 में नियुक्त किया था ।

(ग) पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के विषय हैं तथा कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस आयोग नियुक्त किये हैं ।

(घ) कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस अनुसन्धान केन्द्र भी खोले हैं । पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलनों तथा अन्य संगठनों द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणाम राज्य सरकारों के विचारार्थ उन्हें उपलब्ध करा दिये जाते हैं ।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज सिलचर

1191. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर में प्रस्तावित प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है ; और

(ख) सरकार का इस कालेज को कब से आरम्भ करने का इरादा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस स्थान का चुनाव करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गई है और समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) ज्यों ही आवश्यक सुविधायें जुट जायेंगी कालेज चालू हो जायगा।

टेली-हीटर का अविष्कार

1192. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टना विश्वविद्यालय के दो इंजीनियरिंग के स्नातकों ने एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिस के फलस्वरूप टेली-हीटर के आविष्कार की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) न तो सरकार को और न ही पटना विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी अध्यापन योजना

1193. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना बहुत धीमी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी कर्मचारियों की तुलना में जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य हिन्दी परीक्षायें पास नहीं की हैं उनका प्रतिशत क्या है जिन्होंने ये परीक्षायें पास की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में हिन्दी अध्यापन योजना बड़ी तेजी से फैली है और इस के छात्रों की कुल संख्या 1957-58 की 16,000 से बढ़ कर 1963-64 में 54,000 से अधिक हो गई है। तथापि केन्द्रीय सरकार के (जिस में रेलवे तथा डाक व तार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं)। हिन्दी न जानने वाले लगभग दो-तिहाई कर्मचारियों को अभी निर्धारित परीक्षायें पास करनी हैं। हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को शीघ्रता से हिन्दी सीखने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सब अराजपत्रित कर्मचारियों को जो निर्धारित तिथि तक अन्तिम हिन्दी परीक्षा (प्राज्ञ) पास कर लेंगे हाल में अग्रिम वेतन-वृद्धि (जो भविष्य की वेतन-वृद्धियों में खपा दी जायगी) देने की मंजूरी दी है।

जो हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें नकद पुरस्कार देने की योजना भी कुछ हद तक उदार बना दी गई है। प्रशिक्षण की गति बढ़ाने के लिये और क्या कदम उठाये जाने चाहियें इस पर भी विचार किया जा रहा है।

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

1194. **श्री जेना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष और गत वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए राज्यवार कितने अध्यापकों को उनकी असाधारण सेवा के कारण चुना गया, और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रत्येक राज्य के लिये अभ्यंश नियत है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3580/64।]**

(ख) स्कूलों की संख्या के आधार पर मोटे तौर पर प्रत्येक राज्य के लिये पुरस्कारों की संख्या निश्चित की जाती है। 1964-65 में प्रत्येक राज्य के पुरस्कारों की संख्या उपरोक्त विवरण में दी गई है।

असम में पुनर्वास

1195. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री असम राज्य में गये आप्रवासियों के लिय भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के बारे में 18 नवम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 55 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेषत: जिला कछार में नये अप्रवासी निरंतर आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां तो राज्य में या राज्य से बाहर उन्हें बसाने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, किन्तु आप्रवासियों की संख्या में कुछ कमी हुई है।

(ख) असम में 5940 परिवारों के बसाने के लिए इस योजनाओं की मंजुरी दी जा चुकी है जिन पर 84.94 लाख रुपया खर्च होगा। 7400 परिवारों को बसाने के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। आप्रवासिओं को बसाने के लिए अवसर प्रस्तुत करने के हेतु राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक योजनाओ का संकेत किया है। ये योजनाएं 10,000 परिवारों के लिये है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी राज्य सरकार को व्योरेवार प्रस्ताव तैयार करने हैं।

इसके अलावा नेफा क्षेत्र में आप्रवासियों को बसाने की गूंजाइश के बारे में जांच की जा रही है और इस जांच के पूरा होने पर चालू वर्ष में 1,000 परिवार इस क्षेत्र में ले जाने का विचार है।

चूंकि पुनर्वास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने में स्वभावत: कुछ समय लगता है इस लिए इस समय यह बताना संभव नहीं कि पुनर्वास योजनाओं को कार्यान्वित करने में निश्चित रुप से कितना समय लगेगा।

कृत्रिम रबड़

1196. **श्री मणियंगाडन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की वस्तुओं के निर्माताओं के लिए यह जरूरी बना दिया गया है कि वे भारत में तैयार किया गया कृत्रिम रबड़ खरिदें ;

(ख) यदि हां तो कितना ; और

(ग) इस समय कृत्रिम रबड़ किस मूल्य पर दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) देशी कृत्रिम रबड़ के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अक्तूबर, 1963/मार्च, 1964 के लाइसेंस काल के बीच प्राकृतिक रबड़ का आयात कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के साथ 1 : 1 के अनुपात से जोड दिया गया है। बाद में उन कारखाने के सम्बन्ध में जो तकनीकी विकास महाविदेशक की सूची में है, इस का हिसाब लगाया गया है कि तकनीकी दृष्टि से बिना किसी हानी के उनके उत्पादन में कितना एस० बी० आर० कृत्रिम रबड़ इस्तेमाल होता है और उनसे कहा गया है कि वे अप्रैल, 1964/मार्च, 1965 में उतनी मात्रा में कृत्रिम रबड़ खरीदें।

(ग) ग्रेड 1500 और ग्रेड 1502 बरेली से रेल भाड़ा सहित 3.85 रुपये प्रति किलो ग्राम।

ग्रेड 1712 (आय एक्सटेंडिड) बरेली से रेल भाड़ा सहित 3.40 रुपये प्रति किलो ग्राम।

केरल में पूजा स्थानों का अपवित्र किया जाना

1197. **श्री मणियंगाडन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जनवरी 1964 से धार्मिक पूजा स्थानों के अपवित्र किये जाने की कितनी घटनाओं का पता लगा है ;

(ख) प्रत्येक धर्म के कितने पूजास्थानों को अपवित्र किया गया ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया और दण्ड दिया गया ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन घटनाओं के बारे में क्या कोई जांच की है ; और

(ङ) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) 20/21 मार्च, 1964 को ज़िला एलेप्पी में थेकल के स्थान पर एक एक गिरजाधर को अपवित्र करने की एक ही घटना हुई है।

इसके अलावा 87 चोरियों का पता लगा था और इस सम्बन्ध में 31 व्यक्तियों को पकड़ा गया। दो व्यक्तियों को दण्डित किया गया और शेष मामलों जांच अधीन हैं।

(घ) और (ङ) शिकायतें मिलने पर मामले के बारे में राज्य सरकार को विवरण गया था जिसने उपयुक्त कार्यवाही की है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये रात के पहरे की व्यवस्था की है।

बंगाल की खाड़ी में तेल

1198. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उनका ध्यान उसी दल के मुख्य वैज्ञानिक डाक्टर मेलोवित्सकी के इस वक्तव्य की ओर गया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ऐसी चट्टाने है जिन से तेल मिल सकता है ;

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस मत से कहां तक सहमत है ; और

(ग) वहां खुदाई के परिणामों का कब पता लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) हां श्रीमान।

(ख) कारोमंडल तट मनार की खाड़ी और केरल तट के पास इस प्रारम्भिक भूगर्भ सम्बन्धी काम हो चुका है। बड़े पैमाने पर खुदाइ का काम करने से पहले और आंकड़े एकत्र करने हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की कालकाजी नामक बस्ती में विस्थापित व्यक्तिओं के लिए भूमी

1199. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की प्रस्तावित कालकाजी नामक बस्ती में विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि के लिए पट्टे के आवेदनपत्र प्रपत्र के प्रारुप तैयार हो गये है; और

(ख) यदि हां तो उसका व्योरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) नहीं श्रीमान। ये शीघ्र ही तैयार होने की आशा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

प्रतिरक्षा कर्मचारिओं के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं

1200. **श्री अलगेशन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन प्रतिरक्षा कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तबदली होती रहती है उनके बच्चों के लिये शिक्षा व्यवस्था करने की योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में किन किन और कितने स्थानों पर इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार है या कार्यान्वित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दो वर्ष में ऐसे 54 स्कूल खोले गये हैं और योजना चालू हैं ।

(ख) सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित स्थानों पर चालू वित्तीय वर्ष में 34 स्कूल खोले गये । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3581/64**]

केरल में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

1201. **श्री मणियंगाडन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सहायक प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों से कोइ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि उनके वेतन क्रम और सेवा सम्बन्धी शर्तें सरकारी सेना के अध्यापकों के बराबर की जाए ;

(ख) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों में इस सम वेतन और सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में क्या अन्तर है; और

(ग) आवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हां श्रीमान ।

(ख) मुख्य अन्तर किराया मकान के भत्त में है।

(ग) राज्य सरकार ने 1 अक्तूबर 1964 से उनके वेतन आदि बराबर करने का निश्चय किया है और इस आवश्यकता को योजना गत नियम राशि में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

न्यायाधिपति श्री मित्र का मामला

1202. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री जे० पी० मित्र जन्म तिथि का निश्चय करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहां है। इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

परा-मनोविज्ञान का अध्ययन

1203. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के शेष व्यक्त में परा-मनोविज्ञान अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक लाख रुपया मंजूर किया है ;

(ख) किन किन विश्वविद्यालयों में यह अध्ययन किया जायगा ; और

(ग) विश्वविद्यालय इस अनुदान का क्या उपयोग करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने अनुमानतः 1,47,800 रुपये (89,800 रुपये आवर्तक और 58,000 रुपये अनावर्तक) की लागत से परा-मनोविज्ञान का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय की एक योजना मंजूर की है ।

(ग) विश्वविद्यालय, कर्मचारियों सामान और पुस्तकों पर इस अनुदान को इस्तेमाल करेंगे ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन का पाठ्यक्रम

1204. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन का गहन पाठ्यक्रम जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हां श्रीमान।

5—6 L. S./65

(ख) इस में एक वर्ष तक चीनी भाषा का गहन अध्ययन और उसके बाद दो वर्ष तक चीनी क्षेत्रों का अध्ययन (जिसमें चीनी भाषा का आगे अध्ययन भी शामील है) शामील है। प्रस्ताव यह है कि 1966 में तीन वर्ष का कार्यक्रम आरम्भ होना चाहिये जिससे विश्वविद्यालय की एम. ए. की उपाधि प्राप्त हो।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

1205. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि रूस की सहायता से जिस बरौनी तेल शोधक करखाने को लगाया गया है वह निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा ; और

(ख) यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है और सरकार काम को तेज़ करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) मूल कार्यक्रम यथार्थतापूर्ण नहीं है ;

(2) उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के लिए नमूने में परिवर्तन की आवश्यकता थी ; और

(3) निर्माण स्थल पर अप्रत्याशित कठिनाइयां पेश आईं।

दिल्ली राज्य के अध्यापकों के शिकायतें

1206. **श्री मुरली मनोहर** :
श्री राम हरख यादव :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए मिला था ;

(ख) यदि हा; तो उस भेंट का क्या परिणाम निकला और अध्यापकों की निश्चित शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लाभ के लिए पेंशन एवं उपदान की योजना साथ साथ जारी करने का है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली राज्य अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार को शिक्षा मंत्रालय के सचिव को 23 नवम्बर 1965 को मिला था।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 3582/64।**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ भूटानी भगोड़ों द्वारा नेपाल में दिये गये वक्तव्य

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले): मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"भूटानी पदाधिकारियों के भारतीय क्षेत्र में से हो कर नेपाल जाना और भूटान के भूत पूर्व प्रधान मंत्री श्री जिग्मे दोरजी की हत्या और भूटान के आन्तरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप के बारे में एक वक्तव्य।"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : 5 दिसम्बर को सर्वश्री तंगबी पेंजों रिंचेन दोरजी और भूटान सरकार के दो अधिकारियों जो भूटान से भाग आय थे काठमांडू में एक वक्तव्य दिया जिस में भारत सरकार के कार्यो और नीतियों के बारे में झुठे आरोप लगाए थे। सरकार ने उन निराधार आरोपों का खण्डन कर दिया था और समाचार पत्रों और सार्वजनिक सूचना के अन्य साधनों को सूचना दे दी थी कि वे आरोप गलत हैं। कुछ दिन पहले लोक-सभा और राज्य-सभा में सभा पटल पर भूटान की गति विधीयों सम्बन्धी जानकारी का विवरण रख दिया गया था।

श्री तंगबी और चार अन्य भगौडे भूटान के महाराजा के स्विटज़रलैंड से कलकत्ता में 22 नवम्बर, 1964 को पहुंचने से दो दिन पहले, पश्चिम बंगाल से हो कर नेपाल भाग गये थे। भारत के साथ नेपाल और भूटान की सीमा चिरकाल से खूली है।

ये घटनायें हाल ही की हैं और भूटान के आन्तरिक मामले है जिनका निबटारा भूटान के महाराजा को करना है। किन्तु चूंकि भूटान के साथ भारत का मैत्री सम्बन्ध बहुत समय से है अतः महाराजा जो भी सहायता मागेंगे दी जायगी।

भूटानी अधिकारियों ने कहा है कि भारत सरकार को इस वर्ष अप्रील में हुई जिग्मे दोरजी की हत्याके बारे में पता था। भारत सरकार इस वक्तव्य का अभिप्राय नहीं समझ सकी क्योंकि श्री जिग्मे दोरजी ने भारत नेपाल के सम्बन्धों को मज़बूत बनाया था और उनकी मृत्यु पर हमने भूटान सरकार को अपराधियों का पता लगाने में पूरी सहायता की थी। भूतान सरकार ने अपराधियों पर मुकदमा चलाया था और वहां के उप-सेनापती को मृत्य दन्ड दिया था और अन्य अपराधियों को दण्डित किया था। उसके बाद भारत सरकार नये प्रधान मंत्री को सहयोग देती रही है। इसलिए इस प्रकार का सुझाव देना कि भारत सरकार भूटान के महाराजा और दोरजी परिवार के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयत्न करती रही है बहूत शरारतपूर्ण है।

इन अधिकारियो ने आरोप लगाया है कि 1961 से भूटान में होने वाले उपद्रवों के पीछे भारत सरकार का हाथ रहा है, किन्तु तब से दिग्मे दोरजी की दु:खद हत्या का ही एक काण्ड हुआ है और दूसरी घटना यह हुई कि भूटान की विकास योजना बनाई गई और भारत सरकार उस योजना में वित्तीय सहायता दे रही है।

भूटान ने इन वर्षों में अच्छी प्रगति की है और भारत सरकार भूटान के विकास कार्य में सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है।

भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध 1949 की संधि द्वारा विनियमित है जिसके अनुसार हमें उनके आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना तथा भूटान सरकार के वैदेशिक मामलों में हमारी सलाह ले कर काम करना है। दोनों सरकारें संधि का पूर्ण रुप से पालन कर रही हैं और इस प्रकार की बात कहना जैसे कि भगौडे अधिकारि ने कही दोनों सरकारों के बीच मतभेद पैदा करने के लिये है। भूटान के महाराजा और भारत सरकार को पूरा विश्वास है कि उनके प्रयत्न विफल होगा।

श्री स्वैल : इस बात का समाचार मिला है कि इन भूटानी झगड़ों ने जो निराधार आरोप लगाये हैं उनका नेपाल की सरकारी समाचार एजेंन्सी और नेपाल की सरकारने खूप प्रचार किया है और यह कहा है कि नेपाल सरकार भगौडों का स्वागत करेगी। नेपाल सरकार की इस प्रवृत्ति से भगोड़े के आरोपों से क्या निकलेगा और यह आशंका फैलेगी कि भारत सरकार हिमालय के राज्यों में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें अपने अधीनस्थ राज्य समझता है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य की यह सब आशंकाए गलत है।

श्री स्वैल : यह समाचार पत्रों में आया है । इसलिए उनके खण्डन से समस्या हल नहीं होगी।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार का विचार हिमालय के सिक्किम, भूटान, तिब्बत राज्यों का संघ बनाने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : भारत इस पर विचार करेगी (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री सोलंकी (केरल) : क्या यह भूटानी अधिकारी कुछ विदेशी व्यक्तियों के सहयोग से ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें किसी विदेशी प्रभाव का पता नही है और जो आरोप लगाये गये हैं हमने उनका खण्डन कर दिया है :

Shri Hukamchand Kacchavaiya (Dewas) : These fugitives had gone to Nepal through the Indian temporary. Had they sought permission, if not, does it not show inefficiency of our Government?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य ने वक्तव्य को नहीं सुना। नेपाल के साथ भारत की सीमा खुली है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): चूंकि भूटान भारत ने कुछ चीनियों को इस अपराध पर गिरफ्तार किया है कि वे भूटान के राजनैतिक झगड़े में हिस्सा लेते हैं तो क्या भारत ने भूटान सरकार से यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि चीनियों का इसमें कितना हाथ है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जिन बातों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया वे भूटान के आन्तरिक मामले हैं।

श्री हेम बरुआ : चूंकि इसमे हमारी सुरक्षा का मामला सम्बन्धित है। इस लिए यह उत्तर पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह था कि क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि भूटान सरकार को चीनियों पर सन्देह है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : नहीं, श्रीमान ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : गत सप्ताह मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि भूटान की यह घटना एक मामूली घटना है। किन्तु इस वक्तव्य में पता लगाता है कि यह घटना बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं पूछना चाहता हुं कि यह इस सभा में घोषणा कर देना चाहिये कि भगोड़े अधिकारियों के यह आरोप सर्वथा निराधार हैं कि भारत भूटान के अधीनस्थ राज्ये बना रहा है। क्या सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि पाकिस्तान और चीन भारत विरोधी प्रचार न करें और नेपाल के साथ हमारे मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध होते हुए क्या वहां पर भारत विरोधी प्रचार नही हो रहा है।

श्रीमति लक्ष्मी मेनन : प्रश्न के अन्तिम भाग का जहां तक सम्बन्ध है हम नेपाल आदि के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न के पहले भाग का भी उतना ही महत्व है और हम चाहते हैं कि भूटान के महाराजा स्वयं उन आरोपों का खण्डन करते ।

प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हम निश्चय ही हम इस बारे में भुटान सरकार को लिखेंगे और हमें पता हैं कि नेपाल में इन भगोड़ों ने जो वक्तव्य दिया है उससे भूटान के महाराजा सहमत नही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार को मालूम है कि इन भगोड़ों ने पाकिस्तान में चीनी दूतावास द्वारा चीन से संपर्क स्थापित कर लिया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन भूटानी अधिकारियों के भाग जाने के बाद भूटान के लोग बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं । और क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस बारे में सतर्क कर दिया है और यदि हां, तो क्या भूटान में स्थिति और अधिक गम्भीर होती जा रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कोई सामूहिक आगमन नहीं हो रहा है । यदि ऐसी कोई बात होगी तो सीमान्त पुलिस को सतर्क कर दिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

श्री हुमायून कबीर (पेट्रोलियम और रसायन मंत्री) : श्रीमन्, मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक्ट 1959 की धारा 23 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3775/64**]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1964-65

DEMAND FOR SUPPLEMENTRY GRANTS (RAILWAYS) 1964-65

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं 1964-65 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदान की अनुपूरक मांग दिखाने वाला एक विवरण पेश करता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

त्रेपनवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के बिलों और संकल्पों सम्बन्धी समिति की त्रेपनवी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRIME MINISTER'S VISIT TO U. K.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री हेरोल्ड विल्सन के निमंत्रण मैंने 3 से 6 दिसम्बर 1964 तक लंदन की यात्रा की ब्रिटेन में मेरा यह दौरा थोड़े समय का ही था किन्तु यह निस्सन्देह फायदेमन्द रहा।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलने से पूर्व मुझे वहां की महाराणी से भी मिलने का मौका मिला।

श्री हेरोल्ड विल्सन और उनके अन्य सहयोगियों के साथ मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने मैत्री-पूर्ण और अनौपचारिक वातावरण में अपने विचारों का खुलकर आदान प्रदान किया। चर्चा के लिए कोई, रस्मी विषय-सूची नहीं थी। फिर भी हमने निम्नलिखित विषयों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया :—

(i) जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, हमारी निगाह में तथा उनकी निगाह में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में।

(ii) शान्ति, निरस्त्रीकरण विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुपक्षीय सेना, शेष उपनिवेशों के लिए आजादी तथा विकासप्रणित देशों के लिए सहायता कार्यक्रमों सम्बन्धी समस्याएं।

(iii) ब्रिटेन की भूगतन-शेष समस्या।

(iv) भारत के विकास कार्यक्रम तथा भारत की प्रतिरक्षा आवश्यकताएं।

जैसे कि सभा को मालूम है मैं कोई विशेष प्रार्थना अथवा प्रस्ताव लेकर ब्रिटेन नहीं गया था। फिर भी विचारों का आदान प्रदान लाभदायक रहा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों ने एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने के लिए प्राय: अनौपचारिक रूप से विभिन्न स्तरों पर विचारों के आपसी आदान प्रदान के महत्व पर जोर दिया यद्यपि कुछ विशिष्ट मामलों पर हमारे बीच मतभेद ही क्यों न हों, उनका विचार था कि विश्व की पेचीदा और कठिन स्थिति में इस प्रकार की वैयक्तिक चर्चा विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण के हित में होगी और इस से विश्व की, विशेषकर विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी सहायता मिलेगी।

एक बात जोकि हमारी विशेष दिलचस्पी की है और जिस पर ब्रिटेन का भी ध्यान गया है चीन द्वारा हाल में किया गया अणु विस्फोट तथा भारत सरकार की अणुशक्ति स्थिति पर इसका प्रभाव है। इस विषय पर हमारे विचार स्पष्ट हैं। भारत शांति के मार्ग पर चलता रहेगा और परमाणु खतरे के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं उनके इस मामले पर विशेष ध्यान देना है और भारत सरकार इस विषय में और सरकारों के साथ सम्बन्ध बनाए रखी है। इसके साथ ही यह अमरिका और रुस जैसी बडी बडी परमाणु शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वह इस खतरे के निराकरण के लिए ठोस उपाय सोचें। हमें यह भूल न जाना चाहिये कि परमाणु अस्त्रों का खतरा समस्त मानव जाति के लिये है। हमने अपने विचार निश्चित रूपसे व्यक्त किये और उन्होंने उनका स्वागत किया।

ब्रिटेन की सरकार तथा नेताओं की भारत के प्रति जो मैत्री की भावना है उस से मैं बहूत प्रभावित हुआ हूं।

मैं ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा श्रीमती विल्सन को भारत आने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार किया है। हमें उनके आगमन की प्रतीक्षा है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** Whether the question was considered that if China did not desist from making the atom bombs, what action should be taken ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I have already said as to what was the way out. But the real remedy was that we should not allow China use her atom bomb power.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले) : समाचार है कि प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि अमरिका और रूस जैसी परमाणु शक्तियों द्वारा गर-परमाणु देशों को किसी देश द्वारा किये गए परमाणु हमले के विरुद्ध एक तरह की गारंटी दी जानी चाहिये। क्या यह सुझाव देने से पूर्व सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की राय का पता लगाया था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : May we know whether the Prime Minister held any consultations with the British Prime Minister on the Kashmir issue ? If so, what was their view point in the matter ?

Shri Lal Bahadur Shastri : There was no particular discussion on the subject, but when they broached the issue I placed the Government of India's view point before them. They had nothing to say further on the subject.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): का प्रधान मंत्री का ध्यान ब्रिटेन के राष्ट्र मंडलीय सचिव के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत को सैनिक सहायता देते समय ब्रिटेन ने तीन शर्तें लगा दी हैं और उनमें से एक शर्त यह है कि ब्रिटेन को इस बात का अधिकार होगा कि वह भारत को दिये गये हथियारों का निरीक्षण करें और ब्रिटीश हाईकमीशन के अधिकारी यह काम करेंगे ? यदि हां, तो क्या इस विषय पर भी बातचीत हुई है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मैंने श्री बाटमाले का वह वक्तव्य नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो तो हम ब्रिटेन की सरकार के साथ इस पर बातचीत करेंगे।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : प्रधान मंत्री ने परमाणु शक्तियो वाले देशों द्वारा गैर-परमाणु देशों को परमाणु खतरे से बचाने के लिये गारंटी देने के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया का पता लगाया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कह सके हैं लेकिन उनका विचार था कि परमाणु शक्ति वाले देशों को ऐसे उपाय ढूंढने चाहिये जिस से कि गैर-परमाणु शक्ति वाले देश किसी खतरे में न रहे अथवा जिस से कि चीन या दूसरे अणुशक्ति वाले देशों का खतरा घट जाये।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : क्या प्रधान मंत्री का यह विचार था कि संयुक्त राज्य अमरिका और सोवियत रूस एक ऐसा संयुक्त अणुशक्ति संरक्षण प्रदान करें जिससे कि उन देशों का खतरा घट जाये जिनके पास अणुअस्त्र नहीं हैं ? क्या श्री विल्सन ने श्री जानसंन के साथ इस पर चर्चा करने की बात कहीं थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में जो कुछ कहा है वह अधिकाश रूप से सही है, मैंने संरक्षण अथवा ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन मैंने यह कहा था कि परमाणु-शक्ति वाले देशों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे उपायों पर विचार करें जिनसे कि अणु-अस्त्रों का खतरा कम हो जाये। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस बात का फैसला करना ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का काम है। उन्हों ने मुझे ऐसी कोई बात नही कही।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव दिया था कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण को अन्त करने तथा अस्त्र भण्डारों के नाश के उद्देश्य से परमाणु परीक्षण रोक सन्धि को और व्यापक करके फ्रांस और चीन पर भी लागू किया जाये ? क्या उन्हों ने ऐसा कोई प्रस्ताव श्री विल्सन के सामने रखा था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने उन्हें सुझाव दिया कि परमाणु परिक्षण रोक संधि को और बढ़ा दिया जाय लेकिन दूसरे तरीको से। अर्थात यह कि भूमिगत परीक्षण भी बंद हो आदि। निस्सन्देह इसका मतलब यहि भी होगा लेकिन मैने इसका ज़िक्र नहीं किया कि चीन और फ्रांस को भी मास्को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये अपील की जाये। लेकिन मैंने वह सुझाव नहीं दिया।

Shri Hukamchand Kachhavaiya (Dews) : The Prime Minister was not received in London by the Prime Minister of U. K. himself in accordance with the diplomatic convention. What was the reason therefor ?

Mr. Speaker : This is not very relevant here.

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मने इस विषय पर अेक प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी लेकिन आपने उसकी इजाजत नहीं दी। केवल उन सदस्यों को सवाल पूछने का मौका दिया जाता है जिन्होंने कि ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है। मझे आशा थी कि मुझे भी बुलाया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर हैरानी है। मै ने उनके दल के एक सदस्य को सवाल पूछने का अवसर दिया है।

श्री रंगा (चित्तूर) : हमें आशा थी कि हमे इस विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी। मैं ने पहले सोचा था कि केवल उनको मौका दिया जाय। इसलिए मैंने उन्हें बुलाया लेकिन बाद में यह कहा गया कि चूंकि प्रधान मंत्री ने स्वत: यह बयान दिया है, इसलिये इसे उस श्रेणी में शामिल न किया जाय। इसलिए मैंने प्रत्येक दल से एक सदस्य को सवाल पूछने का अवसर दिया है। यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें इसकी इजाज़त दूंगा।

केरल विनियोग विधेयक 1964

KERALA APPROPRIATION BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964-65 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1964–65 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बिल

DELHI SECONDARY EDUCATION BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के अधिक अच्छे संगठन और विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के अधिक अच्छे संगठन और विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मु० क० चागला : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। संशोधित कार्य-सूची की मद 3 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक पाद-टिप्पण दिया गया है कि उसे 5 बजे सायं को लिया जायगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री का आध-घंटे की चर्चा का प्रस्ताव भी 5 बजे के लिए रखा गया है। दोनों मदों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि भविष्य में जब भी कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 5 बजे के लिए रखा जाय तो यदि सम्भव हो और कोई कार्यवाही उसके बाद उस दिन के लिए न रखी जाय। दोनों मदों को एक ही समय लिया जाना असम्भव है। इस दृष्टि से कार्य-सूची ज़रा सी अव्यवस्थित है और इसे ठीक किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कामत को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनके सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री बड़े द्वारा पेश किये गये संकल्प तथा श्री चि० सुब्रह्मण्यम द्वारा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के संबंध में पेश किये गये प्रस्ताव पर आज विचार करेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की बात कर रहा था। बताया गया है कि 1962 में प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धि 15.8 औंस थी। यदि उत्पादन उसी हिसाब से बढ़ा होता तो 1963 और 1964 में प्रति व्यक्ति उपलब्धि उस से कम न होती। परन्तु हम देखते हैं कि केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय केवल $3\frac{1}{2}$ औंस चावल और 4 औंस गेहूं दिया जाता है।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि जमाखारों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। लेकिन जैसे कि श्री कामत ने आंकडे दिखा कर बताया, इस कालावधि में इस अध्यादेश के अधीन किसी भी जमाखोर या मुनाफाखोर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस से स्पष्ट है कि यद्यपि सरकार के पास अधिकार है अधिकारी गण इन्हें प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह कानून सिर्फ कागज़ पर रह जाते हैं। अपील की बात उठाई जाती है। अपील केवल ऐसे मामलों में नहीं है जहां कि सज़ा एक महीने से कम हो। यह लोग दण्डाधीश से मिलकर एक महीने की जगह पांच सप्ताह की सज़ा करवा सकते और इस तरह से अपने लिए अपील का अधिकार प्राप्त कर सकते है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आज तक कितने लोगों को इस अध्यादेश के अधीन एक महीना कैद अथवा 2,000 रुपये से कम की सज़ा दी गई है। इस से हमें पता चलेगा कि सरकार किस हद तक इस कानून के द्वारा छिपे हुए अनाज को निकाल सकी है।

सरकार इस कानून के द्वारा केवल यह दिखाना चाहती है कि वह अनाज के वितरण आदि के मामले में निश्चित है और इस तरह से एक अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहती है। इसलिए हमारे दायें ओर बैठने वाले मित्रों को इस से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। यह केवल एक नक़ली चौकीदार है। मद्रास के कोयम्बटूर ज़िले में इस समय चावल का एक माप दो से ढाई रुपये तक बिकता है जब कि इसके लिए अधिकतम मूल्य एक रुपया बीस पैसे निश्चित किया गया है। तो यह कानून शराबबन्दी

[श्री नम्बियार]

कानून की तरह एक निष्प्रभावी कानून रह जायगा । इस से हमें संतोष नहीं । सरकार को इस पर गम्भीरता से अमल करने का फैसला करना चाहिये । जमाखोरों को सजा मिलनी चाहिये । इस मामले में जनता पूर्ण रूप से सरकार का समर्थन करेंगी । नहीं तो इस तरह के कानूनों से हमारा हौसला नहीं बन्ध जाता है चाहे अपने में यह कानून अच्छे ही क्यों न हों । सरकार को ठोस कार्यवाही करने की बात सोचनी चाहिये ।

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

जहां तक अनाज की वसूली का सवाल है सरकार को या तो निश्चित की गई कीमतें सख्ती से लागू करनी चाहिये जिस से कि व्यापारी लोग गडबड न करे या उन्हें अनाज वसूली का एकाधिकार प्राप्त करना चाहिए । दो में से एक बात करना अत्यन्त आवश्यक है । नहीं तो हमारी वर्तमान कठिनाइयां बनी रहेंगी ।

सरकार को एक दृढ़ नीति अपनानी चाहिए और जनता को अनाज पहुंचाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करनी चाहिये । यदि वह ऐसी करेगी, तभी तो इस प्रकार के कानूनों का लाभ है ।

Shri Tan Singh (Barmer) : Sir, I support the resolution moved by Shri Bade. The constitution has laid down certain pre-conditions for promulgating an Ordinance. We do not find those conditions existing in the present case. The reason is that even after the promulgation of the present ordinance no case has been registered against any hoarder. This itself shows that there was no need for such a measure and that the Government have abused the powers given to their under the Constitution.

The main question is whether or not our food problem can be solved by such a measure. We do not think so. It is not going to teach a lesson to the profiteers. Government could not be absolved of its responsibility in the matter merely on the ground that they have passed the Ordinance. Government themselves were responsible for the existence of black marketing, hoarding and profiteering in the country. Government has done nothing to raise the moral standards in the country. They cannot check these malpractices merely through legislation. They have already got sufficient powers under the existing laws and there was no case for giving them more powers. We have known what has been the immediate effect of this Ordinance on the trade ; the prices are going up day by day in Delhi. That is a proof of the fact that Government policy has failed. I am not in favour of reducing the punishment under the Bill ; but I merely want to submit that this is not the way to tackle the problem, it is only a way to evade it. It would be wrong to think that this measure would keep out the trade from indulging in the malpractices.

I submit that the educated people generally find out ways and means to circumvent the law ; it is the illiterate villager who is more often than not hauled up for its violation. It is necessary that the provision for appeal should be there, otherwise innocent people would suffer. Afterall Courts are not infallable ; we should not deprive the accused of his right to appeal. A law which does not provide for right to appeal cannot be said to be a good law ; it is not going to solve our problems.

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु इसके साथ ही में इस सम्बन्ध में कानूनों की क्रियान्विति के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हम ने देखा है कि कभी कभी हमारे प्रशासकों की गलतियां चोरबाजारी और समाज विरोधी गतिविधियों को जन्म देती हैं। जब आदेश जारी किये जाते हैं तो उनका पर्याप्त रूप से प्रचार नहीं किया जाता है, परिणाम यह होता है कि व्यापारियों तथा दूसरे अन्य व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पडता है। मेरा सुझाव यह है कि ज्योंही कोई कानून बनाया जाता है अथवा आदेश जारी किया जाता है त्योंही उस सम्बन्ध में डिपटी कमिशनर अथवा अन्य कार्यापालक अधिकारी को स्पष्ट अनुदेश दिये जाने चाहियें कि वह व्यापारियों की एक बैठक बुलाये और उन्हें सरकार की नीति से पूरी तरह से अवगत करायें और उन्हें आग्रह करें कि कानून का उल्लंघन करने के लिए अमुक दण्ड दिया जायगा। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो दोष सर्वथा व्यापारी का ही नहीं अपितु सरकार का भी है। अभी मध्य प्रदेश में एक कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत दो राज्यों के बीच सीमा के पांच मील अन्दर खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगा दी गई। व्यापारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि कुछ कलेक्टरों को भी इसका ज्ञान नहीं था और उन्होंने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में परमिट जारी किये थे। अब उन व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। यह उचित नहीं है। यदि कलेक्टरों ने उन्हें बताया होता तो कानून का उल्लंघन नही होता।

इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को सरकारी कार्यवाही अथवा संक्षिप्त सुनवाई के अधिकार दिये जा रहे हैं। लेकिन उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी जो कि ऐसे मामलों की तहकीकात में देर करते हैं? तहकीकात करने तथा मामले को अदालत में पेश करने में काफी देर की जाती है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए इस विधेयक में कोई न कोई उपबन्ध रखा जाना चाहिये। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए जाने चाहिए कि यदि वह अनुदेशों का अच्छी तरह पालन न करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

अनाज की वसूली दो प्रश्न में नहीं हो सकती है। आंशिक रूप में सरकारी स्तर पर और आंशिक रूप में व्यापारियों द्वारा करने पर यह योजना भली प्रकार नहीं चलेगी। यदि सम्पूर्ण वसूली सरकार ही करे तो कीमतों में समरूपता रहेगी। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम किमतों पर अनाज उपलब्ध है। भोपाल की गणना उन स्थानों में की जाती है जहां आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होता है किन्तु मैंने स्वयं देखा है कि वहां एक-एक किलो आटा खरीदने के लिये 200 से 250 स्त्री पुरुष घंटो लाइन में खडे रहते हैं। प्रत्येक उत्पादन, व्यापारी और उपभोक्ता में यह बताने के लिये कहा जाये कि उनके पास कितना स्टाक है। हम स्टाक के समाप्त होने के पश्चात् ही उसे खाद्यान्न दिया जाये। सन् 1947 के पहले भारत सरकार की यही नीति थी। इस नीति ने मैसूर, कोचिन, त्रावणकोर और मद्रास में सफलता प्राप्त की थी। उस समय गेहूं और चावल की ही नहीं परन्तु मुख्य भोजन जैसे बाजरा आदि की वसूली भी सरकार ने की थी और आवश्यकता से अतिरिक्त खाद्यान्न का शत प्रतिशत भाग सरकारने समाहृत किया। यदि सरकार अन्न समाचार के बारे में दृढ और स्पष्ट नीति अपनाये तब ही सफलता मिल सकती है। सम्पूर्ण देश में समरूप नीति नहीं अपनायी जा सकती है। जिस राज्य में आवश्यकता से कम अनाज होता है वहां आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्य से भिन्न कीमत होगी। समरूपनीति कृषकों के लिये अभुविघ्नपूर्ण होगी। कृषकों को अधिक युक्ति संगत और उचित कीमत देने पर ही यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो सकती है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : विधेयक के समर्थन की भावना रखते हुए भी मैं यह अभिव्यक्त कर दूं कि सरकार इस काम को अपने ढंग से कर रही है यदि किसी व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पडता है तो कठिनाई का मूल कारण भी वही व्यक्ति होता है। खाद्यान्न की वर्तमान संकटप्रद स्थिति का कारण स्वयं सरकार की नीतियां ही हैं। सरकार एक ओर तो यह कहती है कि वह समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है और दूसरी ओर वह बडे बडे उद्योगपतियों से सांठगांठ कर रही है सरकार दो वर्गों को प्रसन्न करने पर तुली हुई है। आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण और रोक के लिये

[श्री शिंकरे]

सरकार ने सन् 1955 में कानून बनाया उसके पहले इस प्रकार कोई कानून नहीं था। अन्य देशों में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही अत्यावश्यक वस्तुओं के नियंत्रण के लिये कानून बन गए थे। इस देश में सरकार ने सन् 1955 तक इस दिशा में कोई कानून नहीं बनायें; इस सरकार को हम गलती के लिये आसानी से क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसका समर्थन करते हुए भी मैं उन उपबन्धो में सहमत नहीं हूं जिन के अन्तर्गत एक महीने से अनधिक सजा अथवा 2000 रुपये से अनधिक जुर्माने या दोनों की सजा के लिये अपील की इजाजत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपील का अधिकार होना चाहिये। संभवत: सरकार को यह आशंका है कि सम्बन्धित व्यक्ति विलम्बकारी प्रवृत्तियां अपनायेंगे। सरकार इन प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिये कदम उठा सकती है। इस आशय का उपबंध रखा जा सकता है कि केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ही इन मामलों की सुनवाई करें और एक या दो महीनेमें अपील का निपटारा कर दिया जाये। यदि इस प्रकार के उपबंध बना दिये गये तो अपराधी और सरकार दोनों पक्षों को युक्ति-संगत अवसर मिलेंगे। श्री मोरे ने कहा कि इन उपबंधों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 से समानांतर रखा जाये; मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। श्री दांडेकर तथा अन्य माननीय सदस्यों के इस तर्क से मैं असहमत हूं कि संक्षिप्त मुकदमें के न्याय की पूर्ति नहीं होती है अथवा वह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। विश्व के कई देशों ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी अपराधों के लिये संक्षिप्त मुकदमें की प्रक्रिया अपनायी जाना चाहिये। इन देशों में इटली, पुर्तगाल और फ्रान्स भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार के कानून बन जाने पर भविष्य में खाद्यान्न संकट की पुनरावृत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि इस प्रकार के कानून की कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाये। अत्यावश्यक वस्तुएं सदैव अत्यावश्यक रहेंगी। अत: मेरी प्रार्थना है कि इस कानून को स्थायी रूप दिया जाये।

Shri H. C. Roy (Singhabhum) : I support the Essential Commodities (Amendment) Bill. In view of the activities of the anti-social elements and the attitude hoarding and profiteering displayed by the trade, it is essential that we should have such an enactment on our statue book. Of late, a feeling has grown in the country that the Government have exhibited a week policy in the matter of distribution of food. People were demanding strict punishment against those indulging in black marketing and profiteering. Some people here take the plea of denial of justice or they invoke mercy in the name of petty trade. I cannot share their views. I have noticed tremendous hardship being encountered by people in procuring handful of food corns. I have seen the unmerciful cut given to poor consumers at the hand of trader and I am in favour of awarding severe punishment to these profiteers. I would even go to the extent of enhancing the sentence up to three months and fine extending beyond two thousand rupees. Government are taking full responsibility in regard to the distribution of foodstuffs. It is a welcome measure. There is another salutary provision in this bill; it seeks to bring those government officials under the purview of this bill who fail to implement the law properly or cause obstacles in its successful operation. Government should also take steps to see that production does not suffer as a result of its policy of afforestation.

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मुनाफाखोरी करनेवालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय और कुछ अन्य सदस्यों ने न्याय सिद्धांत और मूलभूत अधिकारों की दुहाई देते हुए हमारा विरोध किया है। किन्तु मेरा दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। आज जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। साधारण व्यक्ति का जीवन दु:सह हो उठा है और इन परिस्थितियों में सरकार के लिये इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है। कीमतों की वृद्धि में जनसाधारण का जीवन दुष्कर हो गया है, वितरण व्यवस्था दोषयुक्त है। लोगों को घंटो लाइन में खडे रहना पड़ता है और मूल्य नियंत्रण के पश्चात् बाजार में चावल अन्तर्धान हो गया है। खाद्य समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

उपभोक्ता स्टोर्स स्थापित किये जा रहे हैं। किन्तु जनता का विश्वास डिग गया है। लोग भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। सर्वत्र अंधकार और अव्यवस्था है। केरल की स्थिति हम सब जानते हैं। दिल्ली में खाद्यान्न की कीमतें रोकने में सरकार असफल रही है। यह समस्या मूलतः मनोवैज्ञानिक है। हमें युद्ध स्तर पर हल करना चाहिये। हम अभी तक राष्ट्रीय नीति का विकास नहीं कर सके हैं। प्रत्येक राज्य में भिन्नभिन्न नीति अपनायी जा रही है। मुख्यमंत्रियों के इतने सम्मेलनों के बाद भी हम किसी एक समरूप नीति का उद्‌भव नहीं कर सके हैं। इस देश में पर्याप्त खाद्यान्न है किन्तु आज हम देखते हैं कि फालतू अनाजवाले राज्यों में भी कठिनाई हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि घाटे के राज्यों का कहना है कि ज़ोन समाप्त कर दिये जायें। यदि यह संभव नहीं हो तो क्या सरकार राज्य व्यापार का संगठन करेगी और थोक व्यापार मे समाजवादी दृष्टिकोण प्रदान करेगी। बफर स्टाक न होने की स्थिति में हम कीमतों को स्थायित्व किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। विदेशों से खाद्यान्न के आयात करने पर ही यह समस्या हल हो सकती है अन्यथा समस्या इतनी बिगड़ जायेगी कि बड़े बड़े नगरों में कानून और शांति को खतरा पैदा हो जायेगा। भारत को सबसे पहले अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात की समस्या हल करना चाहिये। गत वर्ष निर्यात से मूंगफली के तेल की स्थिति खराब हो गई थी। बम्बई तथा अन्य बड़े नगरों में विदेशों से वायदे सौदे किये जा रहे हैं। संक्षेप में, मेरा निवेदन यह है कि आयात अथवा किसी अन्य उपाय से बफर स्टाक तैयार करना चाहिये। वित्तीय सहायता द्वारा उचित मूल्यवाली दूकानें खोली जायें; मूंगफली के तेल का निर्यात बंद कर दीजिये, मूल्य नियंत्रण रोक कर बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा कीजिये; राज्य व्यापार निगम का संगठन इस प्रकार कीजिए कि मूल्यों में स्थायित्व हो सके। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती को प्रोत्साहन दीजिये और उस पर लगान में छूट दीजिये। जो किसान केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिये प्रयत्नशील हों उन्हें इस वर्ष पानी की सप्लाई निःशुल्क की जाये।

Shri K. N. Tewary (Bagaha) : I have been listening to the speeches on the subject with great attention. I congratulate the Ministry as also the Minister in charge of food for bringing this measure. We are passing through hard times and a difficult situation has arisen in the country. Shri Kamath and other hon'ble Members have stated that all persons have gone corrupt in the country. The government machinery is corrupt, the officials are corrupt and all else is corrupt. In the present situation, the Minister really deserves congratulations for conducting the affairs of the Ministry in a brave manner. I support the ideas underlying the measure but I cannot agree with the provisions barring offenders from the right of appeal. In ordinary cases an offender is free to go in appeal to a superior court *viz.*, Sessions, High Court or the Supreme Court. Different courts take different view. It is often proved that a particular court is not always free from taking erroneous decisions and the provision of appeal offers an opportunity to rectify the same. To take away this right of appeal amounts to denial of justice. The right of appeal should always be there. We witness the situation of food scarcity in almost all countries of the world save the U.S.A., Japan, France etc. If we try to put entire blame, as the opposition has done, on the Food Ministry for whatever bungling is going on in the country in the matter of food, it is not proper. The problem of food has become chronic disease. The essential commodities have come to mean food stuffs alone. Today nobody talks of iron, cement, oils etc. We should remove controls and the zonal system should be done away with.

श्री रंगा (चित्तूर) : ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्र दल के अतिरिक्त अन्य सब दल कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मैं प्रारम्भ से ही यह कह रहा हूं कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों में कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी में अंतर नहीं है। लगता है कि भाग्य न खाद्य मंत्री के प्रति निर्भय दृष्टिकोण धारण कर लिया है। आज उन्हें फिर वहीं कन्ट्रोल अपनाने पड़ रहे हैं जिनसे लोगों को इतनी घृणा है। इस अधिनियम का

सम्बन्ध इने गिने व्यापारियों से ही नहीं है परन्तु लाखों करोड़ो किसान भी हमसे प्रभावित होंगे। इस कानून को लागू करने का काम मंत्री महोदय नहीं किन्तु स्थानीय छोटे छोटे अधिकारियों पर रहेगा कितने ही विषाल हृदय राजनीतिज्ञ जो अपने प्रतिद्वन्द्वियों से बदला लेना चाहेंगे वे गांवों में उस अधिनियम की आड़ में अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। यदि किसान अपने यहां अनाज के स्टाक की रिपोर्ट नहीं भिजवाते हैं तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक न होने की स्थिति में वे अनाज किसे बेचेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित एजंटों में। इस स्थिति में उन्हें उचित कीमत की कोई गारण्टी नहीं रहेगी। पिछले महायुद्ध में कुछ साम्यवादी इतने उत्साह मय हो गये थे कि उन्होंने तत्कालीन ब्रिटीश सरकार का सहयोग करने में अपने ही कृषक बन्धुओं को पुलिस के हवाले कर दण्डित करवा दिया। सरकार को इस कानून के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां मिल गई हैं। संकटकालीन स्थिति के अन्तर्गत सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनका उपयोग वह बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध तो नहीं कर रही है किन्तु मौजूदा कानून के अन्तर्गत वह लाखों करोड़ो किसानों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। सरकार जितनी शक्तियां चाहे प्राप्त कर सकती हैं; हम इस सरकार को समर्थन देने के लिये प्रस्तुत हैं। परन्तु हमें इस बात का खेद है कि सरकार शक्तियों का प्रयोग नही करती है। किसान के कहीं थोड़े से अनाज के स्टाक से वह ब्लेक मार्केट करनेवाला नहीं बन जायेगा। भविष्य में यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्रजातंत्र नाम-धारी कांग्रेस पार्टी और जनवादी नामधारी कम्यूनिस्ट पार्टी की इस सांठगांठ से लाखों करोड़ो ग्रामवासियों के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये मैं, स्वतंत्र पार्टी की ओर से, उस विधेयक का विरोध करता हूँ। राजाजी ने एक बार कहा था कि सरकार को कण्ट्रोल पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिये। श्री सुब्रह्मण्यम ने मद्रास में वित्त मंत्री की हैसियत से ऐसा ही किया था। इस स्थिति में ही लोगों को आसानी पूर्वक बढ़िया किस्म का चावल और गेहूं मिल सकता है।

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : यह अत्यंत निर्दोष विधेयक है। देश में आज विकट खाद्य स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति यह बात स्वीकार करता है कि अनाज तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किन्तु यह उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं है। उत्पादन, समाहार और वितरण खाद्यान्न समस्या के इन तीन पहलुओं को जब तक उचित दिशा प्रदान नहीं की जायेगी, स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है। अखिल भारत कांग्रेस स्थिति के अगस्त अधिवेशन में मंत्री महोदय अत्यंत विश्वास और दृढ़ता के साथ यह कहा था कि वह जोन प्रणाली समाप्त करना चाहते हैं। हमें आशा थी कि यह युवा और प्रगतिशील मंत्री राष्ट्र की खाद्यनीति को एकरूपता प्रदान करेगा। किन्तु अब उनमें कुछ विवशता की झलक दिखायी देती है। कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जोन प्रणाली समाप्त करना कठिण हो गया है। सम्पूर्ण देश में समान नीति होना चाहिये और बहुतायत अथवा घाटे वाले राज्यों का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिये। हम विधेयक की दो प्रमुख विशेषतायें हैं––संक्षिप्त अभियोग और अपील का अधिकार न होना। कुछ सदस्यों ने आशंका अभिव्यक्त की है कि इस से कानून के सामान्य नियमों का उल्लंघन होगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। समाजवादी राज्य में हमें कई बार समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ता है। आज जनता में यह भय उत्पन्न हो गया है कि खाद्यान्न स्थिति दोषमय हो गई है। किन्तु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं। श्री दांडेकर की इस दलील से मैं सहमत नहीं हूं कि इस सरकार को न्यायपालिका में विश्वास नहीं रहा है। मेरा तो यह विश्वास है कि इस सरकार को न्यायपालिका में अगाध विश्वास है अन्यथा इतनी अधिक शक्तियां वह न्यायपालिकाँ को क्यों देती। संक्षिप्त अभियोग का अभिप्राय यह है कि जब भी इस प्रकार कोई अपराध किया जाये तो शीघ्र मुकदमा चला कर अविलम्ब निर्णय सुना दिया जाये। विश्व युद्ध के बाद बडौदा रियासत में इसी प्रकार की शक्तियों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस शक्तियों से कानून का उल्लंघन नहीं होता है। सरकारी पदाधिकारी भी, अपराध की स्थिति में, इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत दण्डित किये जा सकेंगे––यह बिल की विशेषता है। इससे समाजविरोधी कार्यवाही समाप्त करने में सर-कार की आतुरता स्पष्ट होती है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं सभा का आभारी हूं। श्री रंगा ने उन दिनों की चर्चा की जब मैं मद्रास में वित्त मंत्री था ; मैं यह निवेदन कर दूं कि उन दिनों में मद्रास राज्य में खाद्य विभाग का भी प्रभारी था। किन्तु 1952–54 की उस समय की स्थिति और आज के समय काफी परिवर्तन है। श्री राजाजी की बात को मैं सदैव ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं किन्तु आज के बदले हुए समय में हमें भिन्न दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आज कृषि उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हो गया है और कीमतें पिछले दो वर्ष में काफी बढ़ गई हैं। सन् 1964 में कीमतें अत्यधिक हो गई है। चावल यदि आज उपलब्ध है तो उसकी कीमत इतनी ऊंची है कि सामान्य उपभोक्ता उसे नहीं खरीद सकता है। इसलिये वस्तु के उपलब्ध होने के साथ साथ उसकी कीमत का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हमें मूल्य स्तर उचित धरातल पर बनाये रखना है ताकि सामान्य व्यक्ति ऊंची कीमत से प्रपीड़ित न हो। उचित मूल्य की दूकानों से यह समस्या हल नहीं होगी। 50 अथवा 60 प्रतिशत जनसंख्या में वितरणहेतु इतना अनाज कहां से मिलेगा। और फिर इसकी व्यवस्था करने के लिये अनाज खरीदना अथवा उसका अपाहार करना आवश्यक है। स्वभावत: किसी प्रकार नियंत्रण हमें करना पड़ेगा। निम्न वेतन भोगी और जनसाधारण के समक्ष आज कठिन समस्यायें हैं आज की स्थिति सन् 1952 से सर्वथा भिन्न है। श्री दांडेकर तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि योजनाओं से ही खाद्य स्थिति इतनी विषम हुई है। स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा सर्वथा भिन्न है। हम योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास में विश्वास रखते हैं। तब फिर क्या हम खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के संभरण पर नियंत्रण रखें ? मुझे पूरा विश्वास है कि योजनाबद्ध अर्थ विकास में जिनकी आस्था है वह अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण का भी समर्थन करेंगे।

श्री रंगा : हम यही चाहते हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं जानता हूं कि आप यह चाहते हैं। परन्तु परिश्रम बगैर कोई इच्छा पूरी नहीं होती। रेगिस्तान में फूल नहीं मुस्कराते हैं। हमें इसके लिये योजना तैयार करनी होगी। कोई चीज स्वत: पैदा नहीं होती। हमें उस के लिये श्रम करना होगा। योजनाबद्ध अर्थ विकास के साथ मूल्य स्थिरता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न की कीमतें अन्न वस्तुओं की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में हमें इस प्रकार कदम उठाने हैं कि सब वर्ग के लोगों को वस्तुएं उपलब्ध हों। इस विधेयक की दुहरी आलोचना की गई—स्वतंत्र पार्टी का विचार है कि यह अनुचित है तथा इसके अन्तर्गत सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं। अन्य व्यक्तियों का विचार है कि विधेयक में सरकार को अपर्याप्त शक्तियां मिली हैं। इसी दृष्टि से मैं इस विधेयक पर प्रकाश डालूंगा। स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यह विधेयक असभ्यता और बर्बरता का प्रतीक है। श्री दांडेकर ने कहा कि यह विधेयक न्यायशास्त्र के सब सिद्धांतों के विरुद्ध है। किन्तु इस विधेयक में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की गई है कि जब तक सिद्ध न हो जाये किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त प्रमाण के अभाव में दोषी नहीं माना जायेगा। इस सिद्धांत का इसमें निष्कासन नही किया गया है। यहां पर प्रक्रिया विचित्र रूप में अपनाई गई है किन्तु मूलभूत सिद्धान्त का परित्याग नहीं किया गया है। केवल सन्देह के आधार पर दण्डित करने की व्यवस्था इसमें नहीं है; इसमें मुकदमे को शीघ्र निबटाने की बात है। इस विधेयक में न्यायशास्त्र, विधिशास्त्र अथवा साक्ष्य विधान को तिलांजलि नहीं दी गई है। दोषसिद्धि की अनिवार्यता इसमें यथावत् है। फिर, सब मामले अपील के दायरे से बाहर नहीं निकाले गये हैं। एक महीने से कम सजा अथवा दो हजार रुपये से कम जुर्माने की स्थिति में अपील का उपबंध समाप्त किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण का अधिकार अभी उपलब्ध है। यदि साक्ष्य का रिकार्ड नहीं है तो सारी कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी। अत: आप यह स्वीकार करेंगे कि कार्यवाही में शीघ्रता करने के लिये ही यह उपबंध किया गया है। जनहित में यह किया गया है। कम सजाओं के मामले में यह व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई है। श्री रंगा जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि उत्पादक भी इसके अन्तर्गत रखे जायेंगे। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अध्यादेश और विधेयक के अंतर का अध्ययन करें। कोई विशेष आदेश पारित किया जाता है और यह संकेत किया जाता है

[श्री॰ चि॰ सुब्रम्हण्यम]

कि किन कानूनों का उल्लंघन करने पर सरकारी कार्यवाही की जाती है। इन बातों का विशेष रूप में ब्योरा दिया जायेगा जब उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी। इनमें उत्पादक को सम्मिलित करने का कोई मंशा नहीं है। उत्पादक अपने उत्पाद को बेचने पर व्यापारी की परिभाषा में नहीं आ जाता है। किन्तु यदि उत्पादक होने के साथ ही वह अनाज का व्यापार भी करता है तो वह व्यापारी कहलायेगा। मैं यह आश्वासन दे दूं कि छोटे छोटे उत्पादनकर्ताओं को इस कानून के अन्तर्गत नहीं रखा जायेगा। यदि ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारी निर्बाध रूप में काम करना चाहते हैं तो बेईमान व्यापारियों को हमें पृथक कर देना चाहिये। आज बेईमान व्यापारियों के लाभ के सामने भले व्यापारी पंगु हो गये हैं। नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। हमें व्यापारी वर्ग से इन तत्वों को दूर करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करना चाहियें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ईमानदार व्यापारी भी बेईमान बन जायेंगे। यह कानून उन्हीं लोगों के लिये बनाये जा रहे हैं जो उचित नियमों के उल्लंघन के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। यदि कोई कानून किसी वर्ग के लिये अहितकर है तो फिर भारतीय दंड संहिता सम्पूर्ण वर्ग के लिये ही अशोभनीय होगा। इसलिय ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी के साथ निर्भीक रूप में काम करने से तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस कर्तव्य के प्रति सचेष्ट है कि ईमानदार व्यक्ति को कोई कष्ट अथवा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मैं श्री हरिविष्णु कामत का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। श्री कामथ ने जो उद्‌गार प्रकट किये वह अत्यन्त असंयत थे। माननीय सदस्य उच्छृंखल हैं; वह असंयत वातावरण की स्वयं ही सर्जना करते हैं और फिर वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप निपट अयोग्य मंत्री हैं।

श्री चि॰ सुब्रम्हण्यम : माननीय सदस्य असंयत भाषा का प्रयोग करते समय यह भूल गये कि वह क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुतर अपराध में संलग्न व्यक्ति मंत्रि-पदों पर आसीन हैं। फिर उन्होंने कहा कि बड़े अपराधी आज मंत्री बने हुए हैं। यदि इस कथन के समर्थन में उनके पास तथ्य हैं तो वह उन्हें प्रकट करें।

यह कहना कि बड़े अपराधी मंत्रि-पदों पर जीवित विराजमान हैं........

श्री हरि विष्णु कामत : यह शब्द ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी प्रयुक्त किये गये थे।

श्री चि॰ सुब्रम्हण्यम : मुझे मालूम है। इसीलिये मैंने आपत्ति नहीं की किन्तु यह सर्वथा अनुचित है। हम जनता द्वारा मतदान के कारण यहां बैठे हुए हैं।

श्री रंगा : इस प्रकार के शब्दों का आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं।

श्री चि॰ सुब्रम्हण्यम : मैं उस विधेयक के लिये और तत्सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये उत्तरदायी हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने जो कुछ कहा उस पर, उसके प्रत्येक अक्षर पर दृढ़ हूं।

श्री चि॰ सुब्रम्हण्यम : उन्होंने आगे यह कहा कि जो सरकार इस प्रकार झूठ बोलती है, अपने वचन पूरे नहीं करती है और जिसके बीच राजनैतिक हत्यारे हैं........

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं। यह गलत है। मैंने यह नहीं कहा है।

श्री चि॰ सुब्रम्हण्यम : कोई व्यक्ति माननीय सदस्य पर विश्वास नहीं करता है।

दुनिया क्या कहेगी इस देश पर जहां ऐसी सरकार और ऐसे मंत्रिमंडल का चुनाव होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारी निष्ठा भारत में है ; इस सरकार में नहीं है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्री कामथ ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं परन्तु न्यायपालिका के विरुद्ध भी कहा है । हमारी न्याय-व्यवस्था संसार में सुप्रसिद्ध है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विधि आयोग ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं ।

श्री भागवत झा आझाद (भागलपुर) **:** श्रीमान यह क्या हो रहा है । दोनों सदस्य एक साथ बोल रहे हैं ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : कालेज के दिनों में श्री हरि विष्णु कामत अदमनीय थे । किन्तु अब अदम्यता के साथ साथ वह गैर जिम्मेदार भी हो गये हैं ।

केवल बकरी की भांति दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है और न केवल लम्बा चोगा धारण करने से ही कोई गुरुदेव कहलाने लगता है ।

डा० मा० श्री० अणे : यह व्यक्तिगत लांछन है ; इसे बंद कीजिए ।

श्री रंगा : श्रीमान्, प्रतिपक्षी दल के नेता की हैसियत से मैं इस प्रकार की अभिव्यक्ति का विरोध करता हूं । यह शब्दावली अक्षम्य है । श्री कामत ने किसी मंत्री का नाम लेकर नहीं कहा । फिर भी मंत्री का आचरण उत्तरदायित्वरहित, क्षमा से परे और निर्लज्ज है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैं यह कहूं कि चश्मा लगाना बुद्धि का परिचायक नहीं है अथवा उनके दांत गन्दे हैं तो क्या यह उचित होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आलोचना-प्रत्यालोचना दोनों ओर से की जाती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके विनिर्णय के समक्ष हम नतमस्तक हैं ; परन्तु वह एकपक्षीय है ।

Shri Brij Raj Singh (Kotah) : You have called us donkeys and if some reference has been made to your beard what harm it has caused ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्री कामत ने इतना ही नहीं किन्तु यह भी कहा कि जो जितना मलीन है उसकी टोपी उतनी ही धवल है । मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं किन्तु माननीय सदस्य का यह विश्वास निर्मूल है कि एकमात्र वही ईमानदारी और योग्यता के मूर्तरूप हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम आपके स्तर पर नहीं आना चाहते हैं वरन इससे भी अच्छा उत्तर दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बड़े का संकल्प मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 नवम्बर 1964 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश, 1964 (1964 का संख्या 3) का निरनुमोदन करती है ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Resolution was negatived.

6—6 L. S./65

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम 1955 और दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 105 : विपक्ष में 11

Ayes 105 : Noes 11

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि खण्ड 3 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री रंगा : मुझे खेद है कि यह विधेयक पारित हो रहा है । शीघ्र अदालती जांच के पात्र बड़े उद्योगपति नहीं परन्तु मामूली व्यक्ति रहेंगे। बड़े लोगों की सजाएं अधिक होंगी और उनके मामलों की सुनवाई और अपील आगे तक जा सकेगी । हमारे कानून के निर्माताओं ने अपील की व्यवस्था इसलिये की थी कि मजिस्ट्रेट आखिर मनुष्य हैं । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये भी यह शर्त है कि उसे कम से कम दस वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिये । हम अपील के अधिकार को छीन लेने के उपबंध का विरोध करते हैं । हमारा प्रभाव उन साधारण व्यक्तियों पर होगा जिनमें यह कहने का भी साहस नहीं है कि उनके साथ कानूनी कार्यवाही का भली प्रकार प्रयोग किया गया है अथवा नहीं । इन साधारण व्यक्तियों के पास न धन है, न योग्यता है और न ही शक्ति तथा हौसला है। कितने शान्त और मौन ढंग से मत विभाजन का परिणाम उन्होंने सुना । क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई सुषुप्त अदृश्य चेतना उन्हें झकझोर रही है । जिस प्रश्न का श्री जवाहरलाल नेहरू प्रत्येक बात पर बार बार विचार करते थे उसी प्रकार मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह पुन: इस पर विचार करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री सुब्रह्मण्यम ने बड़ी कृपा की कि कालेज के बीते दिनों की चर्चा का यहां बयान किया। यदि मैं उनके अंधकारपूर्ण विगत काल का वर्णन करूं तो लगता है कि उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर होगा । उन्होंने वाद-विवाद में तथ्यों का उत्तर तो नहीं दिया किन्तु व्यर्थ निनाद शब्दों का झंझावात और निरर्थक बातें कहीं । प्रधान मंत्री ने एक बार एक सम्मेलन का आयोजन किया था और कहा था कि दीर्घकालीन योजना बनाने के लिये शीघ्र ही दूसरी कान्फ्रेंस बुलाई जायेगी । किन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया।

दूसरी बात मैंने यह उठायी थी कि प्रधान मंत्री ने पन्द्रह दिनों की मोहलत क्यों दी । खाद्य मंत्री ने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि उन्हे दूसरी असंगत बातें कहनी थीं । मैंने सरकार और मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में जो भी कहा है, मैं उस पर कायम हूं । जब मंत्री लोग मुनाफाखोरों और जमाखोरों को शरण देते हैं तो वे अपराधी नहीं तो और क्या कहलाएंगे ?

मैंने पूछा था कि प्रधान मंत्री ने मुनाफाखोरों और जमाखोरों को दो सप्ताह का समय क्यों दिया जब कि पुलिस उन के विरुद्ध फौरन कार्यवाही कर सकती थी । लेकिन मंत्री महोदय ने इन में से किसी भी बात का उत्तर नहीं भी दिया और केवल इधर उधर की बातें कही हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :(बैरकपुर) : हम ने विधेयक का समर्थन किया है क्योंकि इस में सरकारी मुकदमे चलाने का उपबन्ध है। लेकिन पता नहीं कि सरकार इस पर कार्य कैसे करेगी उसे चाहिए कि बड़े बड़े लोगों को पकड़े और छोटे लोगों को परेशानी न होने दे। हमें डर है कि बड़े व्यापारी बच निकलेंगे और छोटे मोटे दुकानदार मुसीबत में पड़ जायेंगे।

जज भी कई प्रकार के होते हैं। इलाहाबाद में एक जज ने काले बाजार में पकडे गए माल को लौटानेसे इनकार कर दिया लेकिन कलकत्ता में जहां दुध के डिब्बों का इतना अभाव है कि चाहे कोई बच्चा बिलाव बिलाव कर मर जाय दूध नहीं मिलता—मैजिस्ट्रेट ने छापें में पकड़े गए हजारों डिब्बे जमाखोर को वापिस कर दिए। और अब उस पर मुकदमा चल रहा है। इसी लिए मैं ने कहा कि सरकारी मुकदमा चलाने का यह मतलब नहीं कि छोटे मोटे दुकानदार परेशान हों बल्कि यह है कि बड़े बड़े जमाखोरों को पकड़ा जाय जिन का जजों तक पर प्रभाव रहता है।

डा० मा० श्री० अणे : मैं विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं लेकिन साथ ही यह भी कहूंगा कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय अत्याधिक क्रोध में आ गए। मंत्रियो को इस प्रकार क्रुद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि उन पर अधिक जिम्मेदारी है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं कुछ ही शब्द कहूंगा। रंगाजीने कहा है कि हमें विधेयक पर सोचना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम ऐसे कानून पर बराबर विचार करते रहते हैं और इसमें भी कोई संशोधन आवश्यक हुआ तो हम उसे सभा के सामने लाने से झिझकेंगे नहीं।

जहां तक प्रधान मंत्री द्वारा व्यापारियों को 15 दिन का समय देने का सम्बन्ध है, उसका उत्तर मैं (पहले खाद्य समस्या पर चर्चा के दौरान) दे चुका हूं, श्री कामत उसे स्वीकार करें या नहीं, यह उन की मर्जी है।

अध्यादेश इसलिए जारी किया गया था कि विधेयक के उपबन्धों के अनुसार शासन व्यवस्था पक्की करनी थी। अब भी एकाद महीने का समय लग जायेगा। सारे राज्यों में कार्यवाही की जा चुकी है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में एक और सम्मेलन हुआ था और उस में यह निश्चय किया गया था कि इस प्रश्न पर विरोधी नेताओं को राय लेते रहना चाहिये। लम्बे समय की कार्यवाही उत्पादन बढ़ाने की ही हो सकती है। इस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र तैयार किया जायेगा और संसद के सामने रख दिया जायेगा। इस बीच इस बात की व्यवस्था की जायगी कि विरोधी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाय जिस में उस श्वेत पत्र पर विचार किया जायेगा।

ऐसी बात नहीं है कि विरोधी दलों के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक सारे समाज के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जायगा और लोगों को कम से कम परेशानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पास किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: ANNUAL REPORTS OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS 1961-62 AND 1962-63

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 21 अगस्त 1963 और 19 फरवरी 1964 को सभा-पटल पर रखें गये थे, विचार किया जाये।"

उन रिपोर्टों से आयोग के काम की प्रगति का पता चलता है। इस से स्पष्ट है कि आयोग अपने काम को और भी अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

जहां तक प्रारंभिक शिक्षा का सम्बन्ध हैं, प्रश्न उस का स्तर उठाने का उतना नहीं जितना उस के प्रसार का है। इस सम्बन्ध में संविधान की अपेक्षा पूरी होने में तो अभी देर लगेगी जहां तक ऊंची शिक्षा का सम्बन्ध है, वहां पर स्तर का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि स्तर गिरते जा रहे हैं। इस का मुख्य कारण मेरी राय में यह है कि कालेजों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार का कर्त्तव्य है कि ऊंची शिक्षा की संस्थाओं में दाखिले के लिए जो भीड़ लग रही है, उसे कम करे। मैं समझता हूं कि कोई भी देश अपने सभी शिक्षित नागरिकों के लिए पर्याप्त कालिजों की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए मेरे विचार में प्रातःकालीन और सायंकालीन कालिज खोलना ही एकमात्र रास्ता है, रूस आदि कई देशों में अपनाया गया है।

यह कहना ठीक नहीं कि चाहे छात्र में योग्यता हो या नहीं वह कालिज में प्रवेश पाने का अधिकारी है। इसलिए अधिक शिक्षा संस्थाएं खोलने के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर विविधता लाई जाय। हमें अपने छात्रों के लिए बिना बी०ए० की डिग्री लिए आगे पढ़ने योग्य बनाना है। अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थाएं खोली जानी चाहिए जहां उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रवेश मिल सके।

1961-62 में 51 विश्वविद्यालय थे और अगले वर्ष यह संख्या बढ़कर 55 हो गयी। आज उन की संख्या 61 है। 1961-62 में 1783 कालिज थे और अगले वर्ष 1938। शिक्षा समस्या की जड़ ये कालिज ही हैं जहां स्तर बहुत ही घटिया है। इस का कारण यही है कि वहां भीड़ बहुत है। छात्रों की संख्या 1962-63 में 12.73 लाख हो गयी थी। यह वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इन छात्रों में महिला छात्रों की संख्या 17.6 प्रतिशत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि महिला छात्रों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की पूरी कोशिष की है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाय।

अध्यापकों की संख्या 66,370 थी और अध्यापक-छात्र अनुपात 1:16.3 था। यह अनुपात बढ़ रहा है जोकि अच्छी बात नहीं है।

उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने यह कार्यवाही की है कि अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया है। प्रारंभिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की चेष्टा भी हो रही है लेकिन कठिनाई यह है कि राज्यों के पास धन नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन निर्धारित कर दिए हैं और विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे जितना अधिक वेतन देंगे उस का 40 प्रतिशत आयोग देगा। लेकिन राज्यों को यह आश्वासन देना पड़ता है कि आयोग द्वारा सहायता बंद करने पर भी वेतन घटाए नहीं जायंगे। कठिनाई यह है कि राज्य कहते हैं कि हम 20 प्रतिशत भी नहीं दे सकते और दूसरे कालिज वाले आयोग की सहायता बंद हो जाने के बाद भी जिम्मेदारी नहीं लेते।

[श्री मु० क० चागला]

अब तक 33 विश्वविद्यालयोंने नए वेतन स्तर अपनाए हैं जिन से चार हज़ार प्रोफेसरों को लाभ हुआ है। अब योजना यह बनी है कि पांच वर्ष तक वेतनों पर अतिरिक्त व्यय का 50 प्रतिशत आयोग देगा। महिलाओं के कालिजों में 75 प्रतिशत तक दिया जायगा। अब तक 14,000 अध्यापकों को इस योजना से लाभ हुआ है।

आयोग ने 3 साल के डिग्री पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है और दो एक राज्यों को छोड़कर सभी ने इसे मान लिया है।

एक महत्वपूर्ण काम आयोग ने यह किया है कि उच्च शिक्षा के केन्द्र स्थापित किए हैं। जहां जहां अच्छे अध्ययन केन्द्र या शिक्षा संस्थाएं हैं वहां ये केन्द्र बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।

आयोग परीक्षाओं के सुधार के लिए भी प्रयत्न कर रहा है। इस के लिए आयोग ने समिति बनाई थी जिस ने सुझाव दिया है कि स्कूल छोड़ने की परीक्षा में दो पर्चे हों, नम्बर देने की व्यवस्था बदली जाय, परीक्षा का परिणाम जल्दी घोषित किया जाय, लेक्चर 50 प्रतिशत कम कर दिए जायं जिस से कि ट्युटोरियल अधिक हों, और परीक्षाएं अवस्थान बद्ध हों इकट्ठी ही वर्ष के अन्त में न हों।

आयोग ने एक और अच्छा काम यह किया है कि ग्रीष्मकालीन गोष्ठियों और संस्थाओं का प्रबन्ध किया है। 1962-63 में इन के लिए विश्वविद्यालयों को ढाई लाख रुपये से अधिक राशि दी गयी है। ऐसे स्कूल और गोष्ठियां अध्यापकों के लिए संगठित की जाती है।

छात्रावास बनाने की ओर भी ध्यान दिया गया है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या 2 लाख के लगभग पहुंच गयी है। 1961-62 और 1962-63 में छात्रावास निर्माण के लिए 36 लाख और 93 लाख रुपये की राशियां मंजूर की गयी है।

छात्रों के कल्याण की ओर भी ध्यान दिया गया है। छात्रों के लिए सुविधाएं देने का भरसक प्रयत्न किया गया है, जिस से अनुशासनहीनता की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी।

छात्रों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र, सहायता निधि, हॉबी वर्कशाप, आदि की भी व्यवस्था की गयी है। शोध कार्य के लिए छात्र वृत्तियां भी दी जा रही हैं। 200 रुपये की 250 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिस से कि विज्ञान और दूसरे विषयों में शोधकार्य को प्रोत्साहन दिया जा सके।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई।]

[Shrimati Renu Chakravarty in the Chair.]

इस के अतिरिक्त 100 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं जिस से कि देश के एक भाग के छात्र दूसरे भाग में जा कर पढ़े तो भी छात्रवृत्ति के अधिकारी हों। इस से राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालिजों का बौद्धिक स्तर उठाने के जो प्रयत्न किए हैं, वे सराहनीय हैं। लेकिन सब से बड़ी कठिनाई धनाभाव की है। यह हैरानी की बात है कि हम अपने बजट का केंद्र तथा राज्य सभी को मिलाकर—कुल 0 84 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो उस स्थिति में शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे हो सकता है।

आयोग ने बौद्धिक स्तर उठाने की ओर तो ध्यान दिया है लेकिन छात्रों के शारीरिक विकास या उनके चरित्र निर्माण की उपेक्षा की है। शारीरिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

नैतिक शिक्षा की भी उपेक्षा की गयी हैं। इसी लिए छात्र जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो नैतिक दृष्टिकोण से असफल रहते हैं और सदाचार समितियां बनानी पड़ती हैं।

आयोग के खिलाफ़ एक और शिकायत यह है कि उस ने ग्रामीण लोगों में शिक्षा की उपेक्षा की है। 80 प्रतिशत जनता गांवों मे रहती है लेकिन 61 विश्वविद्यालयों में से तीन-चार ही ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 2000 कालिजों में से कुल 100 अच्छे कालिज गांवों में हैं।

गांवों से कालिज जाने वाले छात्रों को रहने का स्थान नहीं मिलता क्योंकि छात्रावासों की संख्या कम है।

आयोग को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बहुत से कालिजों को स्वायत्त संस्थाएं बना कर उन्हें डिग्री देने का अधिकार दे दे। मैं आगरा विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं जिस के अन्तर्गत 121 कालिज हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय और ऐसी संस्थाओं की संख्या बढ़ा दी जाय जो स्वयं डिग्रियां दे सकें।

माननीय मंत्री महोदय को चाहिए कि इस शिकायत की जांच करें कि पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रामीण प्रतिनिधियों—विशेषकर सिखों—को निकाला जा रहा है।

हमें वर्तमान परीक्षा पद्धति का भी सुधार करना चाहिए। एक परीक्षा की बजाय कई परीक्षाएं होनी चाहिएं। कुछ संस्थाओं में यह तरीका शुरु किया गया है, इसे बाकी संस्थाओं में भी शुरु करना चाहिए।

शोधकार्य करने वाली ओर तकनीकी संस्थाएं, जो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत आ जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं को अधिक अनुदान किए जाने चाहिए और छात्रावास निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा बराबर के अनुदान दिए जाने की पद्धति बदली जानी चाहिए।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : The Commission deserves congratulations for the fine work done by it in the various fields of education, particularly for the establishment of centres of advanced studies.

Education is not being given the priority it deserves ; it is apparent from the meagre grants that the U.G.C. has been able to give. Two of the most important things that the Commission has to do are : improvement in the standards of higher education and the bringing of uniformity among the universities. Research has also to be encouraged. More and more funds, should therefor be provided for the Commission.

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए।]

[Shri Surendranath Dwivedy in the Chair.]

The reason for the large number of failures in our educational institutions is the dearth of properly qualified teachers. The reason for that is that the educational field fails to attract talent because the teachers have not been able to get a place in the sun. More and more people are attracted towards the administrative services because of the higher salaries and perquisites as opposed to those available to the teachers.

The students also are unable to get all the amenities that they require for the pursuit of their studies. A large number of affiliated colleges are ill-equipped; they have no recreation facilities for the students, nor have they good libraries and laboratories. That gives rise to indiscipline among the students. They fail to get an atmosphere suitable for serious studies.

[Shri Ramshekhar Prasad Singh]

Government should see that the managing committees of affiliated colleges do not persecute the teachers or harass them in any way they like as the position obtains today. The managing committees should not be able to dispense with the services of the teachers.

The universities do not have adequate standards by which they can judge whether the request of affiliated colleges for starting fresh course of study are justified. A recent example is the starting of law course in two colleges in Chapra where there is no court for lawyers to practice and no competent law teachers are available.

Another ill-equipped colleges in my constituency was allowed to function at two placed under pressure from the people of the localities concerned. The affiliating universities must, therefore, ensure that the applications for affiliation are properly dealt with and only well-equipped colleges are allowed to function. They should not submit to political pressures ; otherwise the standards of education would further fall. A provision should, therefore, be made that the approval for opening a new college and its affiliation to a university is given by the U.G.C.

The nominations to the senates and syndicates of the universities by their chancellors should be limited to persons intimately connected with education ; outsiders should not be nominated as a result of political pressures. This thing is very much in evidence in all the universities in Bihar. The Commission should ensure that people nominated to the senates and syndicates by the Governors are able people and are interested in the affairs of the university.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

The Commission and the Government should stop talking about matching grants ; they should give whatever assistance they can give and leave the fixing of salary scales to the universities.

The Government should sympathetically consider the request of the Bihar Government and the public men of the State for the establishment of a Rajendra Babu Agricultural University in that region.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : 45 करोड़ लोगों के देश में विश्वविद्यालयों में 12.73 लाख छात्रों की संख्या कोई अधिक नहीं है। हमें चेष्टा करनी चाहिए कि अधिकाधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन कठिनाई यह है कि हमारी विचारधारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या कम करने की है। यह ठीक है कि जो परीक्षा में अच्छे नम्बर नहीं लेते उन के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना ज़रूरी नहीं है लेकिन उन के सामने और कोनसा रास्ता है। उन्हें तकनीकी या किसी और प्रकार की शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में ऐसी संस्थाएं नहीं हैं। पोलिटक्निक और वसी अन्य संस्थोओं से लाखों छात्र निराश लौटते हैं। छात्रों को कहीं न कहीं तो भेजना होगा, उन्हें आप बेकार घूमने देंगे क्या ?

हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है कि सभी के लिए बी०ए० की उपाधि पाना अनिवार्य हो गया है।

जब विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम पास किया गया था तो यह आशा थी कि विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाई जायगी लेकिन वह काम हो नहीं पाया है। हम छात्रों की योग्यता आंकने के लिए समुचित कसौटी नहीं ढूंढ पाए हैं।

कुछ विश्वविद्यालयों में बहुत से छात्र पहली श्रेणी में पास होते हैं लेकिन कम में इतनी मीन मेख निकाली जाती है कि बहुत से विषयों में एक भी छात्र पहली श्रेणी में पास नहीं होता । यह जरुरी नहीं कि एक विश्वविद्यालय का दूसरी श्रेणी म पास विद्यार्थी किसी अन्य विश्व विद्यालय के प्रथम श्रेणी में पास छात्र से अच्छा न हो । इसलिए एकरूपता लाना बहुत ज़रुरी है ।

जिन कानूनों के अधीन विश्वविद्यालयों के सिंडीकेट आदि बनते हैं उन की मलीभांती जांच की जानी चाहिए । यह काम आयोग को ही करना चाहिए ।

यह मांग करना गलत है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि आयोग में हों ।

तीन साल का पाठ्यक्रम तो ठीक है लेकिन जब छात्र उच्च माध्यमिक स्तर तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते हैं और बी०ए० में प्रवेश पाते ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन जाती हैं । तो उन्हें देढ़-दो वर्ष तो अंग्रेजी सिखने में ही लग जाते हैं । अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए लेकिन विदेशी भाषा के रूप में इस के पढ़ाने की व्यवस्था भली प्रकार की जानी चाहिए।

उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना सराहनीय कदम है । हमें चाहिए कि विश्वविद्यालयों को विशेष विषयों के लिए इन केन्द्रों का विकास करने का प्रोत्साहन दें । और हमें बाहर से उन्हीं विषयों के विशेषज्ञ मंगाने चाहिए जिन का ज्ञान हमारे पास नहीं है । और जिन विषयों के पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं है उन के अध्ययन के लिए छात्रों को विदेश जानी की अनुमति होनी चाहिए ।

कालिजों और छात्रावासों में नए छात्रों को छेड़ने की प्रथा बन्द करनी चाहिए और इस की आड़ में अश्लील आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : Neither the educationists nor the leaders are satisfied with the present educational system in the country. The need for a radical reform of the system is getting acute every day.

The first thing that the U. G. C. should turn its attention to the standardisation of the text books. Some of the text books in use in the States are sub-standard and it is surprising that such third rate books ever got to be approved. The text books must contain the biographies of our great men, scientists, artists, musicians and literatures. The history and geography must also form part of the those text books.

Our children must be given religious education. Being a secular state it would be better if we taught all the religions in our schools but if some body wants to impart education about any particular religion there should be no objection, provided, of course that no communal touch is given to the teachings and hatred is not generated towards other religions. The problem of indiscipline among the students could be effectively tackled only by imparting religious and moral education.

The system of summer vacations in our schools must be given up. The students should be given vacations at harvest time so that they can go to their homes and help their parents.

Our students are being made literate only; they are never taught how to become useful citizens of the country. More attention should be paid to basic education. There should be more emphasis on character building; human qualities of the children must be developed and they should be provoked to think. They should be taught to make proper use of their mental and physical faculties.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

मद्रास पतन न्यास के श्रमिको द्वारा हड़ताल

श्री नाथपाई (राजापुर) : श्रीमान्, मैं नियम 197 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

मद्रास पत्तन न्यास के श्रमिको द्वारा हड़ताल

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, बातचीत के फलस्वरूप दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक समझौता हो गया है और हड़ताल वापिस ले ली गई है। आज शाम मजदूर काम पर लौट आए हैं।

श्री नाथपाई : हड़ताल के नेता एक कांग्रेसी थे। इस बात को देखते हुए क्या सरकार विरोधी दलों को बदनाम करना बंद कर देगी जैसे कि मंत्रियों के वक्तव्यों से प्रकट है कि अन्न संकट के समय भी विरोधी दल बंदरगाहों में हड़तालें कराते हैं।

श्री राज बहादुर : हड़ताल के नेता कांग्रेसी हैं लेकिन कुछ समय पहिले वे माननीय सदस्य के दल में थे। पुरानी आदत देर से छूटती है। इस हड़ताल से खाद्य स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा।

हड़तालियों की मांग यह थी कि 'ग' श्रेणी के सामयिक और 'ख' श्रेणी के 'अर्द्ध-सामयिक' मजदूरों को तरक्की दी जाय और उन का दर्जा बढ़ाया जाय। इस मामले में समझौता हो गया है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : हाल ही में कई बन्दरगाहों में हड़तालें हुई हैं और जहाज़ों से अनाज उतारने में देरी हुई है। क्या ऐसी हड़तालों का रोकने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री राज बहादुर : गोआ बंदरगाह में कभी कभी हड़तालें होती रही हैं लेकिन उन से खाद्य स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Shri Kachhaiya (Devas) : Had the Unions given notice to the strike ? How long did the strike continue ? What was the quantity of foodgrains held up at the ports ?

Shri Raj Bahadur : No notice of strike had been served; it was a lightening strike. The strikers were working on one or two ships loaded with foodgrains.

Shri Kachhaiya : What loss did the Government suffer as a result of diversion of the ships ?

Shri Raj Bahadur : It is not possible to estimate the loss; there was, of course, delay in unloading.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : What steps have the Government taken to ensure that strikes like the one and the other at Marmagoa port do not recur in future ?

Shri Raj Bahadur : The strike at the Marmagoa port was due to struggle between the various unions on the question of being the representative union as has been made clear by my hon. colleague the Minister of Labour. Efforts can be made to settle that question as has been alluded to by my colleague.

श्री शिकरे (मरमा गोआ) : क्या सरकार सारे देश मे इस प्रकार के हडतालों की समस्या पर विचार करेगी यह और देखेगी कि भविष्य में ऐसी हडतालें न हो ?

श्री राजबहादुर : सभी स्थिति पर बराबर विचार किया जाता है और इसलिए हाल ही में बंदरगाह मजदूरों के लिए एक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की गयी है

*बैंक आफ चायना

*BANK OF CHINA

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Questions on the Bank of China affair have been asked 13 times in this House and six times in the Rajya Sabha. On September 17 last the Deputy Minister in the Ministry of Finance Shri Bhagat stated that he would try to see that the results of the inquiry are published during the next session of Parliament. But during this session, namely, on the 21st November last the Finance Minister refused to divulge the result of the inquiry. Public interest is being trotted out as a reason for that refusal.

Though China has been encroaching on our territory for the last so many years and her agents have been stealing our official secrets, her biggest coup has been her financial aggression through the Bank of China. Firstly the Government should not have allowed the establishment of the Bank of China and then it should not have been allowed to function in the way in which it did. It was only after the open aggression of China that the Government restricted the activities of the Bank even though people had been warning them that the Bank had become a centre of anti-Indian activities.

The funds of the Bank were used to create a pro-China atmosphere in the country. The Bank started with a capital of Rs. 4 crores and by the time was closed down it had Rs. 1·75 crores left with it. The Government should state the withdrawals from the Bank at the time of elections and the names of parties who withdrew that money.

The Bank has been using its vast funds to create a pro-China psychology in the country. The Government should state whether it is not a fact that accounts of leaders of both the right and the left factions of the Comm mist Party of India existed in that Bank. Communist publishing houses and the red press has also accounts in that Bank. Why does the Government want to hide those facts.

In spite of the fact that the Communist had large accounts in that Bank and withdrew those amounts at the time of the elections the Government sat with their fingers crossed.

The hon. Minister of Finance should state whether as a result of the inquiry the Government has come in possession of facts supporting the allegation that sometimes moneys were withdrawn from that Bank on the basis of unsigned cheques. The Reserve Bank of India has been turning a blind eye towards the activities of the Bank of China.

The Schools of Chinese Language at Kalimpong has been withdrawing large amounts from the Bank and those funds have been used to finance the activities of the Communist Party in the country. Does it not show that the sole purpose of that Bank was to finance pro-Chinese activities in our country.

*आधे घण्टे की चर्चा ।

*Half-an-hour discussion.

[Shri Prakash Vir Shastri]

Is it a fact that when the Bank was closed down its employees destroyed certain documents and whether those documents tended to incriminate the employees ? And before the Government could take any action those employees left the country.

The Chinese had started their perfidy not when they invaded our country in October, 1962 but much earlier when they started the Bank of China. What is the justification with the Government to hide the facts that have been brought out in the inquiry against the Bank ? Why don't the Government publish the results of the inquiry ? What is the public interest involved in not divulging the names of the Quisilings in our country who have played us false ? Why should the Government not let the country know the names of the Judases who sold the interests of the country for the few pieces of Chinese silver ?

I demand that the results of the inquiry should be published forthwith and the traitors should be given exemplary punishment.

Even if the Government of India have a soft corner for the pro-Russia communists in the country in spite of the fact that Mr. Khrushchev is no longer there—I don't make any such distinctions both the factions are equally evil—what is the justification for not proceeding against the pro-China communists who have soiled their hands with Chinese money and have played the role of traitors to their motherland. What is the reason for not banning the left faction of the Communist Party of India ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार इस बात से मुकर सकती है कि जांच रिपोर्ट में राज्य सभा के सदस्य श्री बोरेन राय का भी नाम है जिनकी मार्फत लाखों रुपये साम्यवादी दल को पहुंचे हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि विभिन्न नामों से बैंक आफ चायना से राशिया निकलवाई गयीं, कैसे पैसा लिया गया और पैसा लेने वालों के नाम क्या हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार को पता चला है कि यह बैंक पश्चिमी बंगाल की किन किन संस्थाओं को धन की सहायता देता रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): बैंक आफ चायना 1912 में स्थापित हुआ था । इसने 1941 में कलकत्ता में एक ब्रांच खोली और थोड़ी देर बाद बम्बई में । 1951 में इसने कालिम्पोंग में अपना दफ्तर खोलने की प्रार्थना की जो कि अस्वीकृत कर दी गयी । इसको अनुसूचित बैंक माना गया लेकिन इस में अधिक पैसा जमा नहीं था । 1956 और 1959 के बीच इसमें पांच करोड़ रुपया जमा था । 27 दिसम्बर 1961 तक विदेश विनिमय बिनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इसे विदेश मुद्रा के लेन देन का अधिकार था । उस तारीख को यह लाइसेंस वापिस ले लिया गया । और 2 नवम्बर 1962 को अन्य बैंक काम करने का लाइसेंस भी छीन लिया गया । उसी दिन रिजर्व बैंक की प्रार्थना पर कलकता उच्च न्यायालय ने बैंक बंद करने का आदेश जारी किया ।

बैंक के कुछ चीनी कर्मचारियों पर यह आरोप था कि वे राजनीतिक प्रचार करते हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी और 1962 के मध्य तक 12 कर्मचारी भारत छोड गए । बैंक बंद होने के बाद 21 कर्मचारियों को भारत से जाने की अनुमति दी गयी ।

सरकार इस बैंक पर दृष्टी रखती रही है और ऐसी बात नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गयी । अप्रैल 1963 में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत पिछले 11 वर्षों में इस बैंक के काम की जांच प्रारंभ की गयी । जांच की रिपोर्ट सितम्बर, 1964 के अंत में प्राप्त हुई ।

सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तीसरे आम चुनाव के लिये इस बैंक से पैसा दिया गया। जहा तक अन्य आरोपों का सम्बन्ध है, जैसा कि पहले कह चुका हूं, यह ठीक है कि बैंक नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा था और चीनी उद्गम कीं कुछ संस्थाओं को अनुचित सुविधाए दे रहा था।

हमारे पास जो साक्ष है उस के आधार पर हम बैंक के विरुद्ध समय समय पर लगाए गए विभिन्न आरोपों के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

हमने जांच का परिणाम प्रकाशित करने की प्रार्थना पर सावधानी से विचार किया है और इस नतीजे पर पहूंचे हैं कि यह जांच गुप्त थी और हमें अपने सूचना के साधनों की रक्षा करनी है इस लिए इस जांच के परिणाम प्रकाशित करना जनहित में नहीं होगा।

हमने इस बैंक के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की है। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर विचार करना ठीक नहीं होगा। अतः आशा है कि माननीय सदस्य इस बात पर जोर नही देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1964/19 अग्रहायण, 1886(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 10, 1964/Agrahayana 19, 1886 (Saka).

भा० स० मु० ना०---वि०१--६ लोकसभा/६५---१४-७-६५---६००